ACHIEVE-2023

All India Open Mock Test Mains-2023

मॉडल उत्तर

सामान्य अध्ययन

(GS-I & II)

ACHIEVE-01

Copyright – Drishti The Vision Foundation

1. **उन सामाजिक-राजनीतिक कारकों का विश्लेषण कीजिये, जिनके कारण चोल राजवंश का उदय हुआ। चोलों ने दक्षिण भारत में अपनी शक्ति को किस प्रकार सुदृढ़ और विस्तारित किया? (150 शब्द) 10**

Analyse the socio-political factors that led to the rise of the Chola dynasty. How did the Cholas consolidate and expand their power in the Southern India? (150 Words) 10

उत्तर: चोल राजवंश (9वीं और 13वीं शताब्दी) प्राचीन दक्षिण भारत में एक प्रमुख और प्रभावशाली राजवंश था, जिसका हृदय स्थल तमिलनाडु के नाम से जाना जाता था और इसके विस्तार में कई कारकों का योगदान था।

चोल राजवंश के उदय हेतु उत्तरदायी सामाजिक-राजनीतिक कारक:

- **सांस्कृतिक और धार्मिक संरक्षण:** राजराज चोल और राजेंद्र चोल जैसे चोल शासक कला, साहित्य और मंदिर स्थापत्यकला के संरक्षक थे। इस संरक्षण ने उनकी प्रजा के बीच निष्ठा की भावना को बढ़ावा दिया और प्रभावशाली धार्मिक संस्थानों के साथ जुड़कर उनके शासन को स्थायित्व प्रदान किया।
- **व्यापार और समुद्री कौशल:** चोलों ने बंगाल की खाड़ी तक अपनी पहुँच का लाभ उठाया और समुद्री व्यापार के अगुआ बन गए।
  - उनके व्यापार संबंध श्रीविजय जैसे दक्षिण-पूर्व एशियाई राज्यों और चीनी साम्राज्य तक विस्तृत थे। इससे न केवल उनका राजकोष समृद्ध हुआ बल्कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी संभव हुआ, जिससे उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई।
- **सैन्य एवं प्रशासनिक नवाचार:** चोलों की स्थायी सेना और नौसैनिक बल जैसी सैन्य प्रगति ने उनके क्षेत्रों की रक्षा और विस्तार करने की उनकी क्षमता को बढ़ाया। सभाओं के माध्यम से स्थानीय शासन सहित कुशल प्रशासनिक प्रणालियों ने स्थिरता में योगदान दिया।
- **भौगोलिक लाभ:** चोल राजवंश का उदय उपजाऊ कावेरी नदी डेल्टा में उनके रणनीतिक स्थान में निहित था। उपजाऊ कृषि भूमि ने उन्हें एक मजबूत आर्थिक आधार प्रदान किया, जिससे अधिशेष खाद्य उत्पादन और जनसंख्या वृद्धि संभव हो सकी।

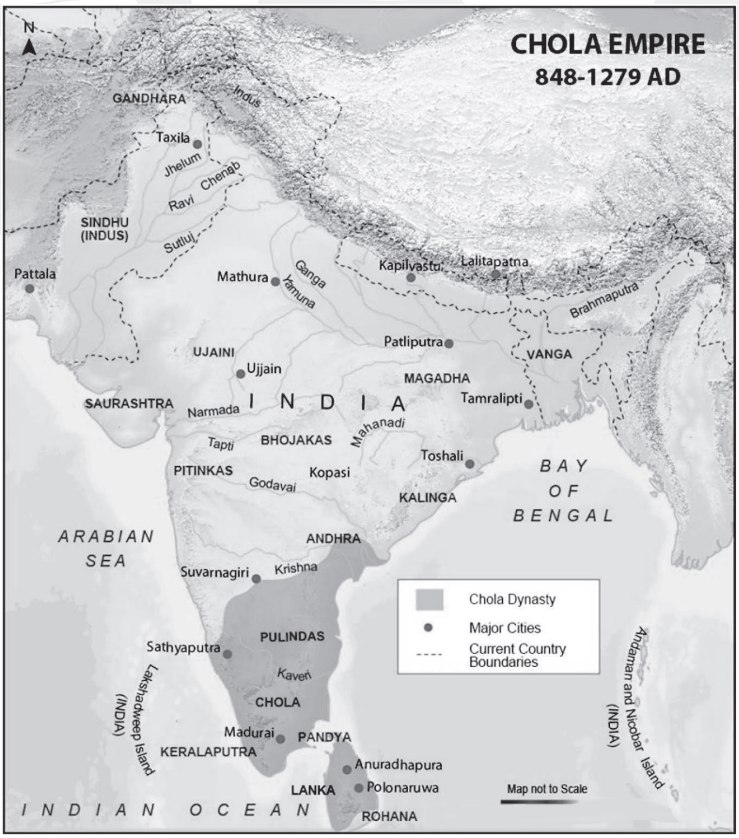

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दक्षिण भारत में चोल शक्ति का सुदृढ़ीकरण और विस्तार:

- **सैन्य विजय:** चोल शासकों, विशेषकर राजराज चोल और राजेंद्र चोल ने अपने क्षेत्रीय नियंत्रण का विस्तार करने के लिए सफल सैन्य अभियान चलाए। उन्होंने पांड्य और चेर साम्राज्यों को हराया और दक्षिण भारत के प्रमुख क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्त्व स्थापित किया।
- **राजनयिक गठबंधन:** चोलों ने स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ रणनीतिक गठबंधन किये। इन गठबंधनों ने उन्हें अपने सैन्य प्रयासों को अपनी निकटतम सीमाओं के बाहर के क्षेत्रों पर केंद्रित करने की अनुमति दी।
- **प्रशासनिक केंद्रीकरण:** चोलों ने एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली लागू की जिसने कुशल शासन और राजस्व संग्रह सुनिश्चित किया। सत्ता के इस केंद्रीकरण ने उन्हें अपने विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद की, जिसमें नए अधिगृहीत दक्कन क्षेत्र भी शामिल थे।
- **बुनियादी ढाँचे का विकास:** चोलों ने सड़कों, बंदरगाहों और सिंचाई प्रणालियों के निर्माण सहित बुनियादी ढाँचे में भारी निवेश किया। इससे न केवल कुशल प्रशासन में सहायता प्राप्त हुई बल्कि व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला, जिससे उनकी शक्ति के विस्तार में योगदान मिला।
- **नौसेना प्रभुत्त्व:** चोलों की नौसैनिक शक्ति ने उन्हें समुद्री व्यापार मार्गों को नियंत्रित करने की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप दक्कन और उसके बाहर उनकी आर्थिक ताकत और राजनीतिक प्रभाव बढ़ा।

चोलों की स्थायी विरासत विभिन्न कारकों का उपयोग करने की उनकी असाधारण क्षमता का प्रमाण है, जिसने अंततः उन्हें दक्षिण भारतीय इतिहास में सबसे प्रमुख और प्रभावशाली राजवंशों में से एक बनने के लिए प्रेरित किया। हाल ही में नई संसद में 'संगोल' (Sengol) का प्रयोग भारतीय इतिहास में चोलों के महत्त्व को दर्शाता है।

2. **भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कार्यविधि को निर्धारित करने में महात्मा गाँधी की भूमिका की जाँच कीजिये। भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एकता और जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देने में उनकी रणनीतिक पहलों, विरोध के तरीकों और वैचारिक योगदान का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द) 10**

Examine the role of Mahatma Gandhi in shaping the course of the Indian National Movement. Analyse his strategic initiatives, methods of protest and ideological contributions in fostering a sense of unity and mobilisation among diverse sections of Indian society. (150 Words) 10

उत्तर: 1915 में भारत आगमन के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दक्षिण अफ्रीका में उनके अनुभव और सकारात्मक दृष्टिकोण का भारत के विविध समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा।

- **रणनीतिक पहल:**
  - **चंपारण सत्याग्रह (1918):** इसे नील विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है, यह भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन में गाँधी की पहली सक्रिय भागीदारी थी, जहाँ वह ब्रिटिश जमींदारों की शोषणकारी प्रथाओं के खिलाफ खड़े हुए थे। उनकी सफलता ने राष्ट्रीय मंच पर उनकी स्थिति को मजबूत किया।
  - **खिलाफत आंदोलन (1919-1924):** प्रथम विश्वयुद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा तुर्की में खलीफा के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में गाँधीजी ने इस आंदोलन का समर्थन किया और इसे असहयोग के साथ आगे बढ़ाया। इस रणनीतिक कदम से हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला।
  - **असहयोग आंदोलन (1920-1922):** सत्ता के प्रति निष्क्रिय प्रतिरोध की गाँधी की इस रणनीतिक पहल में ब्रिटिश वस्तुओं और सेवाओं का व्यापक बहिष्कार शामिल था। इसमें स्कूल, अदालतें और अन्य ब्रिटिश उत्पाद शामिल थे, जिसका महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पड़ा।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

- **विरोध की विधियाँ:**
  - **अहिंसा और सत्याग्रह:** क्रांतिकारी तरीकों के विपरीत, गाँधी ने अहिंसक प्रतिरोध या सत्याग्रह की वकालत की। उनका मानना था कि शांतिपूर्ण और सच्चे विरोध में बहुत ताकत होती है, जिससे जाति और धर्म की परवाह किए बिना देश भर में भारतीयों को संगठित तथा एकजुट करने में उनकी सफलता स्पष्ट होती है।
  - **सविनय अवज्ञा:** अन्यायपूर्ण ब्रिटिश कानूनों का अनुपालन न करना गाँधीजी के विरोध के तरीके का मुख्य हिस्सा था। जब राज्य लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्त्व करने में विफल रहा तो उन्होंने नागरिक अवज्ञा के अधिकार पर जोर दिया।
  - **खादी का प्रचार:** गाँधीजी ने आत्मनिर्भरता और श्रम की गरिमा के प्रतीक के तौर पर खादी की कताई (Spinning) को प्रोत्साहित किया। यह ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध का एक रूप भी था।
- **वैचारिक योगदान:**
  - **हिंदू-मुस्लिम एकता:** गाँधीजी ने हिंदू-मुस्लिम एकता की पुरजोर वकालत की। खिलाफत आंदोलन के प्रति उनके समर्थन ने सांप्रदायिक दूरियों को काफी हद तक कम कर दिया।
  - **अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव का उन्मूलन:** हरिजनों या 'ईश्वर के बच्चों' (जैसा कि वे अछूत माने जाने वाले लोगों को कहते थे) के लिए उनके काम ने जाति की परवाह किए बिना हर व्यक्ति के लिए सम्मान की प्रेरणा देकर समाज को एकजुट किया।
  - **महिलाओं की भागीदारी:** गाँधीजी का मानना था कि स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता के लिए महिलाएँ महत्त्वपूर्ण हैं। उन्होंने महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्य किया, जिसके अंतर्गत समाज के एक ऐसे वर्ग को संगठित किया गया, जिसे राजनीतिक आंदोलनों में काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया था।
  - **स्वराज या स्व-शासन:** गाँधी ने न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता वरन् आत्मनिर्भरता और स्वशासन का जिक्र करते हुए स्वराज की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। विभिन्न भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों वाले समाज में स्वराज के विचार ने भारतीयों को सामुहिक हित से एकजुट किया।
  - **स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार:** स्वदेशी आंदोलन ने घरेलू वस्तुओं के उपयोग और विदेशी निर्मित उत्पादों, विशेष रूप से ब्रिटिश उत्पादों के बहिष्कार को बढ़ावा दिया, जिसने न केवल औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया बल्कि एकता, आत्मनिर्भरता और लघु उद्योगों को भी बढ़ावा दिया।

1918-1929 के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गाँधी की भूमिका उनकी नवीन रणनीतियों, अहिंसक प्रतिरोध के तरीकों और दृढ़ विचारधाराओं को दर्शाती है, जिसने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को एकजुट किया, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एकता और जुड़ाव को प्रेरित किया।

3. सांप्रदायिक पंचाट (Communal Award) की प्रकृति एवं परिस्थितियों तथा इसके प्रति विभिन्न समूहों एवं दलों की प्रतिक्रियाओं की चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

Discuss the nature and circumstances of the Communal Award and the reactions of various groups and parties towards it. (150 Words) 10

उत्तर: 1932 का सांप्रदायिक पंचाट भारत के स्वतंत्रता-पूर्व युग के समय का एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विकास था। इसने विविध धार्मिक और सामाजिक समूहों को संबोधित करने के लिए विधानसभाओं में अलग निर्वाचन क्षेत्रों और आरक्षित सीटों का प्रस्ताव रखा। हालाँकि, इस कदम से राजनीतिक दलों और समुदायों की ओर से मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ आईं, जिससे भारत की आजादी की राह की चर्चा शुरू हो गई।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

सांप्रदायिक पंचाट की प्रकृति और परिस्थितियाँ:

- सांप्रदायिक पंचाट, 1930 से 1932 के मध्य लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के विचार-विमर्श से उत्पन्न हुआ।
  - भारत के संविधान में सुधार के प्रयास में, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की शुरुआत की।
  - इसने अलग निर्वाचन क्षेत्रों के विचार को मुस्लिमों से आगे बढ़ाने की मांग की, जिसमें अब सिख, ईसाई, एंग्लो-इंडियन और दलित भी शामिल थे।
    - इसका लक्ष्य विशिष्ट धार्मिक और सामाजिक समुदायों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था।

विभिन्न समूहों एवं दलों की प्रतिक्रियाएँ:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस:

- सांप्रदायिक पंचाट को महात्मा गाँधी के नेतृत्त्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा।
  - गाँधीजी ने इसे सामाजिक विभाजन को और गहरा करने वाले एक विभाजनकारी उपाय के रूप में देखा।
    - उन्होंने "एक व्यक्ति, एक वोट" की वकालत की, उन्हें डर था कि यह पंचाट सांप्रदायिकता को बढ़ावा देगा और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए आवश्यक एकता में बाधा उत्पन्न करेगा।

दलित नेता:

- डॉ. बी.आर. अम्बेडकर जैसे नेताओं के अनुसार सांप्रदायिक पंचाट एक स्वागत योग्य कदम था।
  - पंचाट ने दलितों को एक विशिष्ट राजनीतिक इकाई के रूप में स्वीकार किया तथा उन्हें आरक्षित सीटें और प्रतिनिधित्त्व प्रदान किया।
  - अम्बेडकर का मानना था कि यह दलितों के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने और उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सशक्त बनाने का एक अवसर है।

मुस्लिम लीग:

- शुरुआत में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों को शामिल करने के लिए सांप्रदायिक पंचाट का समर्थन करते हुए गाँधी और जिन्ना के बीच बातचीत के बाद मुस्लिम लीग का रुख बदल गया।
  - "पूना पैक्ट" में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र को बरकार रखा गया था किन्तु संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर मुस्लिमों और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटें भी प्रस्तुत कीं।
  - इसने जिन्ना के समझौता करने के विचार को प्रदर्शित किया।

सिख और हिंदू नेता:

- सिख नेताओं ने आमतौर पर सांप्रदायिक पंचाट का समर्थन किया क्योंकि इससे उनके समुदाय को मान्यता मिली और अलग प्रतिनिधित्त्व प्राप्त हुआ।
- हिंदू नेताओं की राय अलग-अलग थी। कुछ लोगों ने विविध राजनीतिक प्रतिनिधित्त्व की दिशा में कदम की सराहना की, जबकि अन्य ने सांप्रदायिक विभाजन के बारे में गाँधी की चिंताओं को साझा किया।

भारत की स्वतंत्रता की राह में सांप्रदायिक पंचाट एक महत्त्वपूर्ण कदम था। इसने एक एकीकृत राजनीतिक ढाँचे में विविध समूहों को समायोजित करने की चुनौती पर प्रकाश डाला तथा देश की राजनीति को निर्धारित करने में सांप्रदायिक पहचान की भूमिका के बारे में बहस छेड़ दी। इस चरण के दौरान विभिन्न दलों और समुदायों की प्रतिक्रियाओं से भारतीय समाज और राजनीति की जटिलताओं का पता चला।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

4. भारतीय-इस्लामिक स्थापत्यकला के विकास में स्वदेशी और विदेशी कलात्मक प्रभावों के समामेलन तथा मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य पर, इस वास्तुकला के प्रभावों की चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

Discuss the fusion of indigenous and foreign artistic influences in the development of Indo-Islamic architecture and its impact on the cultural landscape of India during the medieval period.
(150 Words) 10

उत्तर: भारत में मध्ययुगीन काल में भारतीय-इस्लामिक स्थापत्यकला का विकास स्वदेशी और विदेशी कलात्मक प्रभावों के एक आकर्षक समामेलन, विशेष रूप से पहले से मौजूद भारतीय शैलियों के साथ इस्लामी वास्तुशिल्प तत्त्वों का मिश्रण, का परिणाम था। इस संलयन ने न केवल भारत के स्थापत्य परिदृश्य को बदला, बल्कि इसकी सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत पर भी गहरा प्रभाव डाला।

समामेलन के तत्त्व:

भारतीय-इस्लामिक वास्तुकला में इस्लामी और भारतीय वास्तुकला दोनों परंपराओं के कई तत्त्व शामिल हैं:

- **इस्लामी तत्त्व:** मेहराब, गुंबद, मीनार और ज्यामितीय पैटर्न का उपयोग इस्लामी वास्तुकला से ली गई प्रमुख विशेषताएँ हैं। विशेष रूप से नुकीला मेहराब इस जुड़ाव की पहचान बन गया।
- **भारतीय तत्त्व:** कोष्ठयुक्त छज्जे (Bracketed Eaves), जटिल नक्काशी, आंगन और संरचनाओं के अक्षीय संरेखण जैसे स्वदेशी तत्त्वों को भारतीय वास्तुकला के बरकरार रखा गया तथा इस्लामी ढाँचे में एकीकृत किया गया।

दिल्ली में कुतुब परिसर स्थानीय और विदेशी स्थापत्य प्रभावों के मिश्रण का एक प्रमुख उदाहरण है। इस परिसर में कुतुब मीनार, कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाजा तथा अन्य संरचनाएँ हैं। कुतुब मीनार स्वयं में एक उत्कृष्ट भारतीय-इस्लामिक कृति है, जहाँ इस्लामी वास्तुशिल्प तत्त्व जैसे कि लाल बलुआ पत्थर का उपयोग, सजावटी अरबी शिलालेख और फारसी स्थापत्यकला की परंपरा की शुरुआत भारतीय तत्त्वों, जैसे- **बालकनियाँ, कमल की आकृतियाँ** और जटिल नक्काशी के साथ विलय हो गई है।

सांस्कृतिक प्रभाव:

- **समकालिक पहचान:** भारतीय-इस्लामिक स्थापत्यकला भारतीय समाज की समन्वित प्रकृति को दर्शाती है, जहाँ विभिन्न संस्कृतियाँ और परंपराएँ सह-अस्तित्व में थीं और एक अद्वितीय समग्र पहचान में योगदान करती थीं।
- **सांस्कृतिक विनियमन:** इस्लामी और भारतीय कारीगरों, वास्तुकारों और विद्वानों के बीच संवाद ने विचारों के समृद्ध आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया, जिससे एक विशिष्ट स्थापत्यकला शैली का विकास हुआ, जो धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों जरूरतों को पूरा करती थी।
- **धार्मिक सहअस्तित्व:** कई भारतीय-इस्लामिक संरचनाएँ, जैसे मस्जिद और मकबरे, पहले से मौजूद मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों के साथ निर्मित की गईं, जो विभिन्न धर्मों और स्थापत्य परंपराओं के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को प्रदर्शित करती हैं।
- **सौंदर्य विविधता:** शैलियों के मिश्रण के परिणामस्वरूप विविध प्रकार के स्थापत्यशिल्प रूप सामने आए, जिनमें से प्रत्येक का अपना सौंदर्य आकर्षण था। यह विविधता भारतीय-इस्लामिक वास्तुकला के विभिन्न क्षेत्रीय स्कूलों, जैसे दक्कनी, मुगल और बंगाल स्कूलों में स्पष्ट है।

परंपरा:

इंडो-इस्लामिक वास्तुकला की विरासत भारत के वास्तुशिल्प और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दे रही है। कई प्रतिष्ठित संरचनाएँ, जैसे कि ताजमहल, हुमायूँ का मकबरा और जामा मस्जिद इस मिश्रण के प्रमुख उदाहरण हैं। ये संरचनाएँ न केवल उस समय की कलात्मक उपलब्धियों के उदाहरण हैं बल्कि भारत की बहुसांस्कृतिक विरासत के स्थायी प्रतीक के रूप में भी कार्य करती हैं।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

मध्यकालीन युग के दौरान इंडो-इस्लामिक वास्तुकला में स्वदेशी और विदेशी कलात्मक प्रभावों का मिश्रण, विभिन्न संस्कृतियों को एक साथ आने, अनुकूलित करने और कुछ नया और असाधारण बनाने की क्षमता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस समामेलन ने न केवल भारत की स्थापत्य विरासत को समृद्ध किया बल्कि इसकी सांस्कृतिक विविधता और बहुलवाद में भी योगदान दिया।

5. बंगाल से लिए गए संसाधनों ने किस प्रकार ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के लिए निवेश के रूप में कार्य किया? विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द) 10

In what ways did the resources taken from Bengal serve as inputs for the British Industrial Revolution? Analyse. (150 Words) 10

उत्तर: 18वीं और 19वीं शताब्दी में बंगाल और उसके संसाधनों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण ने ब्रिटेन में उद्योगों के विकास में योगदान दिया।

बंगाल की संसाधन संपदा और ब्रिटिश शोषण:

- बंगाल वस्त्र, कृषि उत्पाद, खनिज और कच्चे माल सहित संसाधनों की प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध था।
  - ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के माध्यम से अपने बढ़ते उद्योगों को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से इन संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित किया।

कॉटन टेक्सटाइल्स और मैनचेस्टर स्कूल ऑफ थॉट:

- बंगाल सूती वस्त्रों का एक प्रमुख केंद्र था, जहाँ बुनाई उद्योग भी उन्नत अवस्था में था।
  - ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल के वस्त्रों की लूट ने ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के लिए एक महत्त्वपूर्ण प्रोत्साहक के रूप में काम किया।
  - एरिक हॉब्सबॉम के अनुसार, ब्रिटेन में भारतीय कच्चे माल के अंतर्वाह ने घरेलू कपड़ा उद्योग को बाधित कर दिया और प्रतिस्पर्द्धा हेतु तकनीकी नवाचारों को प्रेरित किया।

धन निष्कासन सिद्धान्त:

- दादाभाई नौरोजी के "निकास सिद्धांत" ने भारत से ब्रिटेन तक संसाधनों के आर्थिक निकास पर प्रकाश डाला।
  - इस सिद्धांत के अनुसार बंगाल से निकाली गई संपत्ति का उपयोग औद्योगिक क्रांति के वित्तपोषण के लिए किया गया था।
    - यह दृष्टिकोण रजत कांता रे जैसे इतिहासकारों के विचारों से मेल खाता है, जो इस बात पर बल देते हैं कि इस आर्थिक निकासी ने ब्रिटिश औद्योगिक विकास में किस प्रकार योगदान दिया।

कच्चा माल और धातुकर्म नवाचार:

- बंगाल के खनिज संसाधनों ने ब्रिटेन में धातुकर्म उद्योगों के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - बंगाल से निकाले गए लौह अयस्क और कोयले ने ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कृषि एवं कृषि क्रांति:

- नील और अफीम सहित बंगाल के कृषि संसाधनों का ब्रिटिश व्यापारिक हितों के लिए दोहन किया गया।
  - ये उत्पाद वैश्विक व्यापार नेटवर्क का हिस्सा बन गए, जिससे औद्योगिक निवेश के लिए राजस्व उपलब्ध हुआ।
    - बंगाल के कृषि उत्पादन ने कृषि क्रांति को प्रभावित किया, जिससे शहरी श्रम बल को बनाए रखने के लिए खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

बंगाल से निकाले गए संसाधनों ने विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक निवेश प्रदान करके ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। एरिक हॉब्सबॉम और दादाभाई नौरोजी बंगाल के संसाधनों और ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के बीच जटिल संबंधों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यह संबंध इस महत्त्वपूर्ण काल के दौरान औपनिवेशिक शोषण, वैश्विक व्यापार गतिशीलता और औद्योगिक प्रगति के बीच जटिल अंतर्संबंधों पर प्रकाश डालता है।

6. भारत खुद को वैश्विक दक्षिण के नेतृत्त्वकर्त्ता के रूप में स्थापित कर सकता है तथा दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ाकर विकासशील देशों के हितों को प्रभावी ढंग से बढ़ावा दे सकता है। परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

India can establish itself as a leader of the global south and effectively promote the interests of developing nations through enhanced south-south cooperation. Examine. (150 Words) 10

उत्तर: वैश्विक दक्षिण की चिंताओं और प्राथमिकताओं का समर्थन करने के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र, G-20, ब्रिक्स आदि जैसे बहुपक्षीय मंचों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। 2023 में भारत की G-20 की अध्यक्षता, देश को विश्व और वैश्विक दक्षिण की चिंताओं के प्रति अपने नेतृत्व, प्रभाव और प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करती है।

वैश्विक दक्षिण के नेता के रूप में भारत:

- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग बढ़ाना:** संवाद को बेहतर करके, ज्ञान-साझाकरण को बढ़ावा देकर तथा साझेदारी को प्रोत्साहित करके भारत वैश्विक दक्षिण की सामूहिक आवाज को प्रबल कर सकता है और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव के लिए एक शक्ति के रूप में अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर सकता है। उदाहरण: ब्रिक्स तथा ब्रिक्स का विस्तार।
- **संघर्ष समाधान:**
  - G-20 की अध्यक्षता भारत को वैश्विक शांति निर्माता के रूप में भूमिका निभाने का अवसर भी प्रदान करती है, विशेष रूप से रूस-यूक्रेन युद्ध और भारत-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तनाव जैसे मुद्दों के संदर्भ में।
  - भारत का सुसंगत और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण, परस्पर विरोधी समूहों और उनके समर्थकों के साथ इसके सकारात्मक संबंधों के साथ मिलकर, इसे संघर्षों को सुलझाने में मदद करने के लिए एक विश्वसनीय मध्यस्थ के रूप में स्थापित करता है।
- **विश्वसनीयता का लाभ उठाना:** संयुक्त राष्ट्र की मौजूदा विश्वसनीयता की कमी और यूक्रेन में छद्म युद्ध जैसे संघर्षों में पक्ष लेने वाली प्रमुख शक्तियों की भागीदारी को देखते हुए, भारत एक ऐसे देश के रूप में खड़ा है जिसने निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता बनाए रखी है। भारत की विश्वसनीयता उसे यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए पर्दे के पीछे से काम करने में सक्षम बनाती है।
- **बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना:**
  - भारत बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि कर सकता है और अधिक समावेशी वैश्विक शासन प्रणाली की वकालत कर सकता है।
  - अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और सामूहिक निर्णय लेने के महत्त्व पर जोर देकर, भारत खुद को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित कर सकता है जो G-20 के भीतर और उससे आगे वैश्विक दक्षिण के हितों और आकांक्षाओं को बढ़ावा देता है।
- **डिजिटल विभाजन को संबोधित करना:** भारत का विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढाँचा इसे एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित करता है जो अन्य देशों, विशेषकर विकासशील देशों के साथ प्रौद्योगिकी साझा करके डिजिटल विभाजन को पाटने में सक्षम है। उदाहरण: विकासशील देशों को UPI प्रणाली अपनाने में मदद करना।
- **विकास संबंधी मुद्दों को संबोधित करना:**
  - भारत वैश्विक दक्षिण के लिए महत्त्वपूर्ण विकासात्मक मुद्दों, जैसे गरीबी उन्मूलन, सतत विकास और बुनियादी ढाँचे के विकास को प्राथमिकता दे सकता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

- इन मुद्दों को G-20 के एजेंडे में सबसे आगे रखकर भारत विकासशील देशों की चिंताओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर सकता है।

- **समावेशी विकास की वकालत:** भारत उन नीतियों और पहलों को बढ़ावा दे सकता है जो समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं। जैसे- समान व्यापार प्रथाओं का समर्थन करना, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और आय असमानता को संबोधित करना।

विकास संबंधी मुद्दों को प्राथमिकता देकर, समावेशी विकास की वकालत करके, दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देकर, बहुपक्षवाद का समर्थन करके तथा अपनी सफलताओं को प्रदर्शित करके, भारत खुद को एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत कर सकता है जो वैश्विक दक्षिण की जरूरतों को समझता है और उनका समाधान करता है।

7. प्रशांत द्वीप समूह के देशों के साथ वार्ता करते समय भारत अपने रणनीतिक हितों और विकासात्मक सहायता के बीच किस प्रकार संतुलन बनाए रखता है? चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

How does India manage the equilibrium between its strategic interests and developmental assistance while engaging with countries in the Pacific Islands? Discuss. (150 Words) 10

उत्तर: प्रशांत द्वीप देशों (PICs) के साथ भारत के संबंध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों से लेकर रणनीतिक और विकासात्मक साझेदारी तक विकसित हुए हैं। भारत ने 2014 में भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' के एक हिस्से के रूप में फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन (FIPIC) की स्थापना की और तब से प्रशांत द्वीप देशों के साथ तीन शिखर सम्मेलन आयोजित किए हैं, जिनमें से नवीनतम पापुआ न्यू गिनी में आयोजित हुआ है।

भारत प्रशांत द्वीप देशों को "बड़े महासागरीय देश मानता है, छोटे द्वीपीय देश नहीं" तथा एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी भारत-प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है।

प्रशांत क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों और विकास सहायता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक:

- **भौगोलिक कारक:** भारत हिंद महासागर के केंद्र में स्थित है, जो इसे विभिन्न समुद्री मार्गों और चेकपॉइंट्स के माध्यम से प्रशांत महासागर से जोड़ता है।
  - भारत के प्रशांत क्षेत्र के कई द्वीप देशों, जैसे-फिजी, किरीबाती, वनातु और चेकपॉइंट्स के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भी हैं, जो इसके विस्तारित पड़ोस का भाग हैं।
- **सामाजिक कारक:** भारत को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में कई सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  - पारंपरिक खतरे, जैसे-समुद्री डकैती, आतंकवाद, बढ़ता और मुखर चीन तथा समुद्री विवाद।
  - गैर-पारंपरिक खतरे, जैसे-जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएँ और महामारी।
- **आर्थिक कारक:** भारत की व्यापार, निवेश, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और विकास की आवश्यकता भारत-प्रशांत क्षेत्र में उसके आर्थिक हितों को संचालित करती है।
  - 2019-20 में 200 बिलियन डॉलर से अधिक की कुल व्यापार मात्रा के साथ भारत इस क्षेत्र के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है।
  - भारत फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे देशों में अपने प्रवासी भारतीयों से प्रेषण का एक प्रमुख स्रोत भी है।
  - भारत हिंद महासागर की हाइड्रोकार्बन क्षमता का दोहन करके और प्रशांत द्वीपों में नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों की खोज करके अपने ऊर्जा स्रोतों और मार्गों में विविधता लाना चाहता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

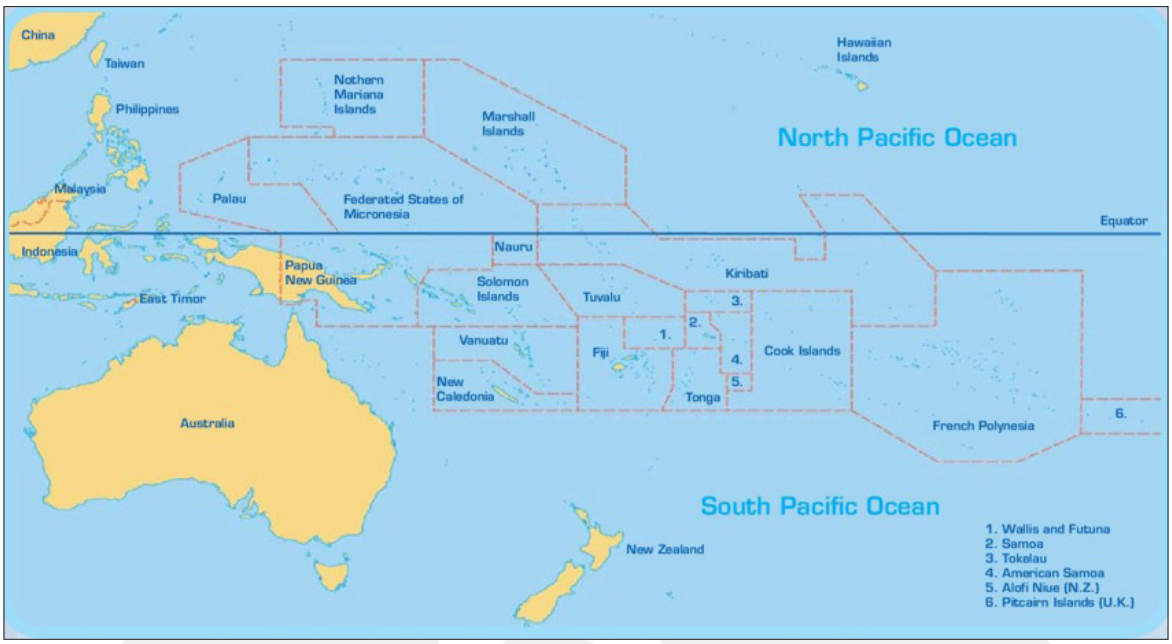

इस क्षेत्र में भारत द्वारा अपने हितों और सहायता का संतुलन:

- भारत द्वारा प्रशांत क्षेत्र को इंडो-पैसिफिक के अभिन्न अंग के रूप में देखे जाने की अवधारणा भारतीय और प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों के परस्पर जुड़ाव और निर्भरता पर जोर देती है।
  - भारत 2014 से फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन (FIPIC), एक ऐसा मंच जो आपसी हित और सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत और 14 प्रशांत द्वीपीय देशों के नेताओं और अधिकारियों को एक साथ लाता है, में भागीदारी कर रहा है।
- प्रशांत द्वीपीय देशों को भारत की विकास सहायता में स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, शिक्षा, संस्कृति और क्षमता-निर्माण शामिल हैं।
  - फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन (FIPIC) शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कुछ प्रमुख पहलों में फिजी में एक सुपर-स्पेशियलिटी कार्डियोलॉजी अस्पताल की स्थापना, सभी PICs देशों को समुद्री एम्बुलेंस और डायलिसिस इकाइयाँ प्रदान करना आदि शामिल हैं।
  - भारत का लक्ष्य एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC), अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) और सागरमाला परियोजना जैसी पहलों के माध्यम से इस क्षेत्र के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाना भी है।
  - भारत क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, संयुक्त गश्त और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत संचालन के माध्यम से प्रशांत क्षेत्र में छोटे द्वीपीय देशों को सुरक्षा सहायता प्रदान करता है।
- भारत प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीतिक उपस्थिति और साझेदारी को भी बढ़ाना चाहता है, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव और मुखरता के संदर्भ में। भारत PICs की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है और उनके हितों को कमजोर करने वाली किसी भी एकतरफा या जबरदस्ती कार्रवाई का विरोध करता है।
- इंडो-पैसिफिक के साथ भारत की कूटनीतिक भागीदारी एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित क्षेत्र के उसके दृष्टिकोण पर आधारित है जो सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है।
  - भारत विभिन्न क्षेत्रीय मंचों जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (ASEAN), पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) आदि में सक्रिय रूप से भाग लेता है।
  - भारत इस क्षेत्र के प्रमुख देशों, जैसे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और वियतनाम के साथ भी घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंध बनाए रखता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

भारत और प्रशांत महासागर के देशों को समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, व्यापार और विकास जैसे मुद्दों पर अधिक निकटता से सहयोग करना चाहिए। भारत अपने साझेदारों के साथ कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य जुड़ाव बढ़ाकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। प्रशांत महासागर के राष्ट्र अपनी चुनौतियों और आकांक्षाओं को संबोधित करने में भारत के समर्थन से लाभान्वित हो सकते हैं। क्षेत्रीय सहयोग के लिए अधिक समावेशी और संतुलित दृष्टिकोण सभी के लिए शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देगा।

8. यद्यपि संसद के पास संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, तथापि, यह अधिकार पूर्ण नहीं है बल्कि परिभाषित सीमाओं के अधीन है। संसद की संविधान संशोधन की शक्तियों के प्रमुख पहलुओं की चर्चा कीजिये। उन सीमाओं पर प्रकाश डालिये जो कि संविधान में संशोधन करने की संसद की क्षमता को बाधित करती हैं।
(150 शब्द) 10

Although the Parliament has the power to amend the Constitution. However, this right is not absolute but limited within defined limits. Discuss the main aspects of the constitution amending powers of the Parliament. Throw light on the limitations that hinder the ability of the Parliament to amend the Constitution.
(150 Words) 10

उत्तर: भारत में संसद की संवैधानिक संशोधन शक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद-368 में निहित हैं। ये शक्तियाँ संसद को बदलती जरूरतों, उभरती परिस्थितियों और चुनौतियों से निपटने के लिए संविधान में संशोधन करने का अधिकार देती हैं।

संसद की संवैधानिक संशोधन शक्तियों के प्रमुख पहलू:

- **शुरुआत और प्रक्रिया:**
  - संसद लोकसभा या राज्यसभा में एक संशोधन विधेयक पेश करके संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।
  - विधेयक को विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिये, जिसके लिए उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
- **संशोधन की सीमा:**
  - संसद की संशोधन शक्तियाँ संविधान के सभी भागों तक विस्तृत हैं, जिनमें मौलिक अधिकार, राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व और विभिन्न अन्य प्रावधान शामिल हैं।
  - यह संसद को राष्ट्र की उभरती जरूरतों के अनुसार संविधान को अपनाने और कमियों को दूर करने में सक्षम बनाती है।
- **संशोधन के प्रकार:**
  - संविधान दो प्रकार के संशोधनों के बीच अंतर करता है: वे जिनके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और वे जिनके लिए राज्यों के आधे विधानमंडलों के अनुसमर्थन के साथ विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
  - मौलिक अधिकारों, नीति-निदेशक तत्त्वों और अन्य महत्त्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित प्रावधानों को संसद द्वारा विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है।

सीमाएँ:

- **बुनियादी संरचना सिद्धांत:**
  - सबसे महत्त्वपूर्ण सीमा "बुनियादी संरचना" सिद्धांत है, जिसे केशवानंद भारती मामले (1973) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित किया गया था।
  - यह सिद्धांत मानता है कि संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताएँ, जैसे-लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और कानून का शासन, इसकी मूल संरचना का निर्माण करती हैं और इन्हें संसद के संशोधनों द्वारा संशोधित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह संविधान के आवश्यक मूल्यों की निरंतरता सुनिश्चित करता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

- **संविधान की संघीय प्रकृति:**
  - संविधान के संघीय ढाँचे को प्रभावित करने वाले संशोधनों के लिए न केवल संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, बल्कि कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है। यह सीमा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति संतुलन की रक्षा करती है।
- **न्यायिक समीक्षा:**
  - न्यायपालिका संविधान के प्रावधानों की व्याख्या और सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अदालतों के पास संवैधानिक संशोधनों की वैधता की समीक्षा करने और संविधान की मूल संरचना या अन्य प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों को रद्द करने का अधिकार है।
- **सार्वजनिक भागीदारी और बहस:**
  - संविधान कहता है कि संशोधनों को एक कठोर विधायी प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिससे सार्वजनिक बहस और चर्चा की अनुमति मिल सके। यह सुनिश्चित करता है कि पारित होने से पहले संशोधनों की पूरी तरह से जाँच और बहस की जाती है।

ये सीमाएँ सामूहिक रूप से संविधान की अखंडता की रक्षा करने, इसके मूल मूल्यों को संरक्षित करने और मनमाने परिवर्तनों को रोकने के लिए काम करती हैं, जो देश के लोकतांत्रिक और संघीय ढाँचे को कमजोर कर सकते हैं। वे लचीलेपन की आवश्यकता और संविधान के मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा की अनिवार्यता के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखते हैं।

9. न्यायपालिका में अवकाश औपनिवेशिक परंपरा है। क्या आप मानते हैं कि यह अभी भी आवश्यक है? भारत में बड़ी संख्या में लंबित वादों के संदर्भ में अपना पक्ष स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द) 10

Vacations in the judiciary are a colonial legacy. Do you think that it is still necessary? Justify your stand in the context of huge pendency of cases in India. (150 Words) 10

उत्तर: भारत में न्यायिक छुट्टियों की प्रथा औपनिवेशिक परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि भारत आने वाले ब्रिटिश न्यायाधीश गर्मी के महीनों के दौरान छुट्टियाँ लेते थे और तब से भारतीय न्यायपालिका ने यह प्रथा जारी रखी है।

न्यायिक छुट्टियों के पक्ष में तर्क:

- न्यायाधीशों को किसी भी अन्य कर्मचारी की तरह ही आराम करने और तरोताजा होने के लिए समय की आवश्यकता होती है।
- छुट्टियाँ न्यायाधीशों को कानून में नवीनतम विकास से अवगत रहने के लिए सम्मेलनों और कार्यशालाओं में भाग लेने की भी अनुमति देती हैं।
- छुट्टियाँ न्याय की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकती हैं, क्योंकि जो न्यायाधीश अच्छी तरह से आराम करते हैं और तरोताजा होते हैं, उनके अच्छे निर्णय लेने की अधिक संभावना होती है।
- भारत में उच्चतम न्यायालय का कार्य दिवस जहाँ 190 दिन है वहीं आस्ट्रेलिया में यह केवल 97 और अमेरिका में 79 दिन है।

  हालाँकि, भारत में लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए न्यायिक छुट्टियों की प्रथा में सुधार की आवश्यकता है दिसंबर 2022 तक, भारतीय अदालतों में 50 मिलियन से अधिक मामले लंबित थे और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। हर दिन जब कोई अदालत बंद होती है, तो न्याय में देरी होती है और यह उन वादकारियों के लिए विशेष रूप से सच है जो एक वकील को नियुक्त करने में असमर्थ हैं।

  न्यायालय की छुट्टियों के दौरान वादकारियों को होने वाली असुविधा भी एक बड़ी चिंता का विषय है। कई वादकारियों को अदालती सुनवाई में भाग लेने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और वे काम से छुट्टी लेने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इससे वित्तीय कठिनाई और भावनात्मक संकट उत्पन्न हो सकता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

एक विचार यह भी है कि बड़ी संख्या में लंबित मामले और अदालत की छुट्टियों के दौरान वादियों को होने वाली असुविधाएँ न्यायिक छुट्टियों की जारी प्रथा के खिलाफ मजबूत तर्क हैं। न्यायपालिका को इस प्रथा की समीक्षा करनी चाहिये और सुधारों पर विचार करना चाहिये जिससे अदालतें वर्ष भर खुली रह सकें।

संभावित सुधार:

- छुट्टियों के दिनों की संख्या कम की जा सकती है।
- न्यायाधीशों को अलग-अलग समय पर छुट्टियाँ लेने की अनुमति देना, ताकि कम से कम कुछ अदालतें हमेशा खुली रहें।
- छुट्टियों के दौरान अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए अवकाश पीठों की एक प्रणाली स्थापित करना।
- मुकदमों के प्रबंधन के लिए एक से अधिक कुशल प्रणाली बनाना, ताकि मामलों की सुनवाई के लिए लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े।

ये कुछ संभावित सुधार हैं जो किए जा सकते हैं। लागू किए जाने वाले विशिष्ट सुधार कई कारकों, जिनमें संसाधनों की उपलब्धता और न्यायपालिका की बदलाव की इच्छा शामिल है, पर निर्भर होंगे। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि लंबित मामलों की भारी संख्या और वादकारियों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिए न्यायिक छुट्टियों की प्रणाली में कुछ बदलाव किए जाने की आवश्यकता है।

10. भारत में शहरी स्थानीय के निकायों के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं? भारत में शहरी स्थानीय निकायों के सुदृढ़ीकरण के उपाय सुझाइये। (150 शब्द) 10

What are the challenges faced by urban local bodies in India? Suggest measures to strengthen urban local bodies in India. (150 Words) 10

उत्तर: शहरी स्थानीय निकाय (ULB) भारत के तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्रों के प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से इन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। हालाँकि, इन निकायों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने और सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने की उनकी क्षमता को सीमित करती हैं।

चुनौतियाँ:

- **वित्तीय स्थिति:** शहर की नगर पालिकाओं द्वारा पर्याप्त कर एकत्र नहीं कर पाने के कारण वित्त की भारी कमी। 2018 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, नगर पालिकाओं को संपत्ति कर की पूरी क्षमता का आभास नहीं है।
- **राज्य का अत्यधिक नियंत्रण:** यह वरदान से अधिक अभिशाप साबित होता है, क्योंकि नियंत्रण तंत्र के माध्यम से मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के बजाय, नियंत्रण नकारात्मक हो जाता है, जिससे इन निकायों के कामकाज में बाधा आती है।
- **अनियमित चुनाव:** शहरी निकायों के चुनावों को अनिश्चित काल के लिए लगातार स्थगन का सामना करना पड़ा है। कुछ राज्यों में, शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव वर्षों से नहीं हुए हैं, जिससे विकेंद्रीकृत शासन का लक्ष्य विफल हो गया है।
- **खराब प्रशासन:** भारत के शहरों की खराब हालत का सबसे बड़ा कारण नगरपालिका प्रशासन की विफलता है। शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर नियोजन और शासन की कमी है।
- **प्रबंधन क्षमता का अभाव:** भारतीय नगर पालिकाओं के पास आर्थिक गतिविधि की योजना बनाने या उसे क्रियान्वित करने की प्रबंधन क्षमता नहीं है। भर्ती प्रणाली सर्वोत्तम व्यक्तियों को लाने में विफल रहती है। कई रिक्तियाँ वर्षों तक नहीं भरी जाती हैं और वरिष्ठ नौकरशाहों तथा सरकार की स्वतंत्र इच्छा से स्थानांतरण किए जाते हैं।
- **भ्रष्टाचार:** इन निकायों में भ्रष्टाचार, पक्षपात और भाई-भतीजावाद व्याप्त है। अधिकांश निकायों के मामले में राज्य सरकार को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है और शहरी निकाय का अपने कर्मियों पर बहुत कम नियंत्रण है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

- **शहरी नियोजन:** शहरी नियोजन राज्य सरकार के स्तर पर किया जाता है और नगर पालिकाओं की इसमें बहुत कम या कोई भूमिका नहीं होती है। जब तक नगर पालिका योजना पूरी करती है तब तक योजना के परिणामों के लिए कोई प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं है। खराब योजना, खराब जवाबदेही और खराब प्रशासन के कारण कई समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं।
- **समन्वय की कमी:** केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर विभिन्न विभागों के बीच अप्रभावी समन्वय के कारण शहरी नीतियों का अप्रभावी कार्यान्वयन होता है। समन्वय में असमर्थता प्रशासनिक अक्षमता और इस प्रकार अप्रभावी शहरी प्रशासन को जन्म देती है।

भारत में शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करने के उपाय:

- **अधिक स्वायत्तता:** भारत को एक विकसित मॉडल का पालन करने की आवश्यकता है जो शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाता है। नगर पालिकाओं को अपने कामकाज में अधिक स्वायत्त होना चाहिये ताकि वे गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान कर सकें।
- **शासन सुधार:** सरकार देश भर में शहरी निकायों के एक सामान्य वर्गीकरण को अपनाने पर विचार कर सकती है ताकि एक व्यवस्थित योजना प्रक्रिया और धन के हस्तांतरण में सहायता मिल सके। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी क्षेत्रों को महानगरीय क्षेत्र परिभाषित किया जाना चाहिये।
- **समय पर चुनाव और भर्ती:** शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए महानगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम स्तर का स्टाफ उपलब्ध कराया जाना चाहिये। ULB के चुनावों में आमतौर पर छः महीने से अधिक की देरी नहीं होनी चाहिये।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना:** शहर के विकास को वित्तपोषित करने के लिए राज्य और शहर दोनों स्तरों पर सफल सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) आधारित कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिये। राज्य की भूमिका बुनियादी ढाँचे में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाने और गहरा करने के उद्देश्य से एक सक्षम वातावरण बनाने की होनी चाहिये।
- **नियोजन:** सरकार को विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न स्तरों पर समन्वय करने की आवश्यकता है। शहरी स्थानीय निकायों को विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता देनी चाहिये। किसी भी बड़ी परियोजना की परिकल्पना सभी हितधारकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए विकसित करने की आवश्यकता है।
- **समग्र दृष्टिकोण:** टिकाऊ शहर या महानगरीय क्षेत्रों को विकसित करने के लिए स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न शहरी विकास और संबंधित कार्यक्रमों को एकीकृत करना महत्त्वपूर्ण है। शहरी संस्थानों को मजबूत किया जाना चाहिये और विभिन्न संगठनों की भूमिकाएँ तय की जानी चाहिए।

शहरी स्थानीय सरकारें शहरी क्षेत्रों का रख-रखाव और विकास करती हैं, नागरिकों के लिए बुनियादी ढाँचे और सेवाओं को सुनिश्चित करती हैं। कई भारतीय शहरों में जीवन की गुणवत्ता खराब है, इसलिए सरकार को स्थानीय प्रशासन में सुधार करना चाहिये।

11. भारत में शहरी क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिये। इन मुद्दों को संबोधित करने और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए, किस प्रकार शहरी नियोजन और नीतियों की पुनर्कल्पना की जा सकती है? चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Discuss the challenges faced by women in urban areas in India. How can urban planning and policies be reimagined to address these issues and ensure the dignity of every individual? Discuss. (250 Words) 15

उत्तर: भारत की शहरी आबादी लगभग 35 प्रतिशत है, 2050 तक इसके लगभग 60 प्रतिशत होने का अनुमान है, यह बढ़ती आबादी शहरों पर दबाव बढ़ा रही है, जिससे तनाव पैदा हो रहा है और ऐसा ही एक मुद्दा महिलाओं को शहर के अधिकार से वंचित करना है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

भारत में बढ़ते शहरीकरण के कारण शहरी आबादी में वृद्धि हुई है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा, समानता और शहरों में समावेशन से संबंधित चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं। इन मुद्दों के समाधान के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो तकनीकी समाधानों से परे हो।

शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ:

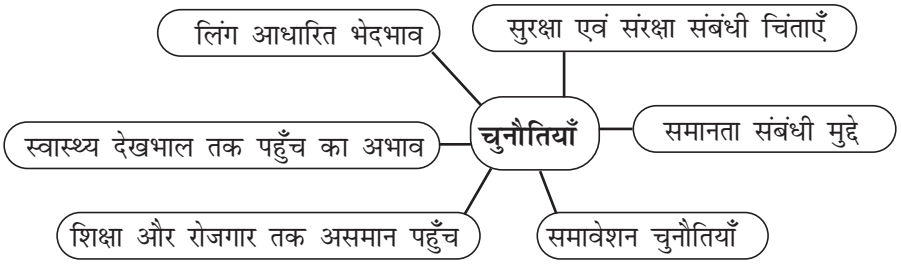

- **सुरक्षा एवं संरक्षा संबंधी चिंताएँ:** महिलाओं को अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न, हमले और हिंसा का शिकार होना पड़ता है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा, सुरक्षित यात्रा विकल्पों की कमी और सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें असुरक्षित महसूस होने का भय, महिलाओं की गतिशीलता और शहरों तक पहुँच में बाधा उत्पन्न करता है।
- **समानता संबंधी मुद्दे:** देखभाल कार्य का असमान बोझ महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और व्यक्तिगत विकास को सीमित करता है। अन्य गतिविधियों में भाग लेने या उनके स्वयं के लक्ष्यों को प्राप्त करने की उनकी क्षमता को सीमित करना।
  - **2021 ऑक्सफैम रिपोर्ट** के अनुसार, भारतीय महिलाएँ और लड़कियाँ प्रतिदिन 3.26 बिलियन घंटे अवैतनिक देखभाल कार्य में लगाती हैं।
- **समावेशन चुनौतियाँ:** शहरी नियोजन अक्सर विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है, जिसके कारण महिलाओं को निर्णयन और सार्वजनिक पहुँच से अलग रखा जाता है।
- **शिक्षा और रोजगार तक असमान पहुँच:** महिलाओं को अक्सर शिक्षा और रोजगार के अवसरों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें कम वेतन वाली नौकरियाँ मिलती हैं तथा कॅरियर में सीमित वृद्धि होती है।
- **स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच का अभाव:** महिलाओं को वित्तीय बाधाओं या अपने क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
- **लिंग आधारित भेदभाव:** उन्हें अक्सर आवास, परिवहन और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं में लिंग आधारित भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

शहरों में महिला सुरक्षा से संबंधित तथ्य:

- दिल्ली में 2017 विश्व बैंक के अध्ययन से पता चला कि महिलाएँ उस मार्ग को लेने के लिए प्रतिदिन 27 मिनट अधिक यात्रा करने को तैयार थीं, जिसे सुरक्षित माना जाता था।
- ओला की 2019 रिपोर्ट से पता चला कि 11 शहरों की केवल 9% महिलाओं को लगा कि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना सुरक्षित है।
- भारत में महिलाओं का रोजगार वर्तमान में 20% से कम है जबकि पुरुषों के लिए यह 70% से अधिक है।

शहरी नियोजन और नीतियों की पुनर्कल्पना:

- **लिंग-समावेशी शहरी डिजाइन:** ऐसे सार्वजनिक स्थान विकसित करना जो महिलाओं, पुरुषों तथा सभी उम्र, क्षमताओं और पृष्ठभूमि के लोगों की विविध आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

- **सुरक्षित परिवहन:** महिलाओं के अनुकूल परिवहन सेवाएँ विकसित करना, केवल महिलाओं के लिए परिवहन विकल्प स्थापित करना तथा अच्छी रोशनी वाले और सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करना।
- **उत्तरदायी बुनियादी ढाँचा:** लिंग आधारित हिंसा का जवाब देने के लिए शहरी बुनियादी ढाँचे की स्थापना करना, जिसमें हेल्पलाइन और सुरक्षा बटन शामिल हों।
- **किफायती शिशु तथा बुजुर्ग देखभाल:** महिलाओं को कार्यबल में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए सुलभ और किफायती बाल देखभाल सुविधाएँ प्रदान करना।
- **कार्य व्यवस्था में लचीलापन:** काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों को संतुलित करने के लिए लचीली कार्य व्यवस्था लागू करना।
- **महिला नेतृत्त्व को प्रोत्साहित करना:** यह महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और सलाह कार्यक्रम प्रदान करके, या बोर्ड और आयोगों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करके किया जा सकता है।
- **लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती दें:** यह शिक्षा और जागरूकता अभियानों के माध्यम से या मीडिया में महिलाओं को चित्रित करने के तरीके को बदलकर किया जा सकता है।

पहल के उदाहरण:

- **केवल महिलाओं के लिए परिवहन:** दिल्ली जैसे शहरों में पिंक बसें और मेट्रो में 'केवल महिलाओं के लिए' डिब्बे जैसी पहल यात्रा के दौरान महिला सुरक्षा को बढ़ावा देती हैं।
- **हेल्पलाइन और ऐप्स:** दिल्ली में 'हिम्मत' जैसे आपातकालीन हेल्पलाइन और सुरक्षा ऐप खतरों का सामना करने वाली महिलाओं को त्वरित सहायता प्रदान करते हैं।
- **महिला केंद्रित पार्क:** भोपाल में "पिंक पार्क" जैसे महिला-केंद्रित पार्कों और सार्वजनिक स्थानों का विकास, महिलाओं की मनोरंजक गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है।

शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की गरिमा और समावेशन सुनिश्चित करने के लिए, लिंग-संवेदनशील शहरी नियोजन, तकनीकी हस्तक्षेप और सामाजिक बुनियादी ढाँचे में वृद्धि को शामिल करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण है। ऐसे शहरों का विकास, जो लैंगिक भेदभाव किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए सुरक्षित, न्यायसंगत और समावेशी हों, अधिक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण शहरी परिदृश्य में योगदान दे सकें।

12. भारत में मैला ढोने (manual scavenging) **की सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों और मानवाधिकार निहितार्थों की चर्चा कीजिये तथा इस अपमानजनक प्रथा को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों का विश्लेषण कीजिये।** **(250 शब्द) 15**

Discuss the socio-economic challenges and human rights implications of manual scavenging in India and analyse the measures taken by the government to eradicate this degrading practice.
(250 Words) 15

उत्तर: मैनुअल स्कैवेंजिंग, भारत के इतिहास में निहित एक प्रथा है, जिसमें मानव मल और अपशिष्ट की मैन्युअल सफाई शामिल है। कानूनी निषेधों और सामाजिक-आर्थिक प्रगति के बावजूद यह अपमानजनक प्रथा जारी है, जो विभिन्न सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को कायम रखती है तथा आधारभूत मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है।

सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ:

- **जाति आधारित भेदभाव:**

Copyright – Drishti The Vision Foundation

- यह मुख्य रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों, विशेषकर दलितों और कथित निम्न जातियों को प्रभावित करता है। यह प्रथा गहराई तक व्याप्त सामाजिक पदानुक्रम और जाति-आधारित भेदभाव को पुष्ट करती है। मैला ढोने के काम में लगे श्रमिकों को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें समान अवसर और सम्मानजनक जीवन से वंचित होना पड़ता है।

- **स्वास्थ्य खतरे:**
  - हाथ से मैला ढोने वाले लोग सीवेज और कचरे में मौजूद खतरनाक पदार्थों और रोगजनकों के संपर्क में आते हैं। यह गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करता है, जिससे बीमारियाँ, संक्रमण और दीर्घकालिक स्वास्थ्य जटिलताएँ होती हैं। उचित सुरक्षात्मक उपकरणों की कमी और अपर्याप्त सुरक्षा उपाय इन खतरों को बढ़ा देते हैं।
- **अपमानजनक कार्य परिस्थितियाँ:**
  - हाथ से मैला ढोने वाले अस्वच्छ और खतरनाक वातावरण में काम करते हैं। उन्हें अक्सर अपने नंगे हाथों से मानव अपशिष्ट को साफ करने के लिए मजबूर किया जाता है। सुरक्षा उपकरणों, उचित प्रशिक्षण और स्वच्छ कार्य स्थितियों की अनुपस्थिति उनके काम की अपमानजनक प्रकृति को बढ़ा देती है।

मानवाधिकार निहितार्थ:

- **गरिमा का अधिकार:**
  - यह सम्मानपूर्वक जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इस प्रथा में लगे श्रमिकों के साथ अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार किया जाता है, जिससे उनका आत्म-सम्मान और मौलिक मानवीय गरिमा छीन ली जाती है।
- **समानता का अधिकार:**
  - यह संविधान में निहित समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हुए जाति-आधारित भेदभाव को कायम रखता है। प्रभावित समुदायों के सदस्यों को शिक्षा, रोजगार और अन्य सामाजिक-आर्थिक अवसरों तक सीमित पहुँच का सामना करना पड़ता है, जिससे व्यवस्थागत असमानता बढ़ती है।

हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकारी उपाय:

- **विधायी कार्रवाइयाँ:**
  - मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 हाथ से मैला ढोने की प्रथा को अपराध मानता है। यह प्रभावित श्रमिकों की पहचान, पुनर्वास और वैकल्पिक आजीविका के प्रावधान को अनिवार्य बनाता है।
- **वित्तीय सहायता:**
  - स्वच्छ भारत अभियान जैसी पहल स्वच्छता सुधार और सफाई प्रक्रियाओं के मशीनीकरण के लिए संसाधन आवंटित करती है। प्रभावित समुदायों को सशक्त बनाने के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता और कौशल विकास कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं।
- **जागरूकता और संवेदनशीलता:**
  - हाथ से मैला ढोने वालों के सम्मान और अधिकारों के विषय में समाज को जागरूक करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण को बदलना और समावेशिता को बढ़ावा देना है।
- **सफाई प्रक्रियाओं का मशीनीकरण:**
  - स्वच्छता कार्य में प्रौद्योगिकी और मशीनरी को बढ़ावा देने का उद्देश्य हाथ से सफाई को प्रतिस्थापित करना, दक्षता बढ़ाना और स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करना है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

उन्मूलन में चुनौतियाँ:

- **सामाजिक दृष्टिकोण:**
  - गहराई तक बैठे सामाजिक कलंक और जातिगत पूर्वाग्रह हाथ से मैला ढोने की प्रथा को पूरी तरह से खत्म करने में महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ पैदा करते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए व्यापक और निरंतर प्रयास की आवश्यकता है।
- **डेटा और निगरानी की कमी:**
  - उन्मूलन प्रयासों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सटीक डेटा संग्रह और निगरानी तंत्र की आवश्यकता होती है। व्यापक डेटा का अभाव प्रगति मूल्यांकन और लक्षित हस्तक्षेप में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना, न केवल एक कानूनी अनिवार्यता है बल्कि एक नैतिक दायित्त्व भी है। इसके लिए सरकार, नागरिक समाज और प्रभावित समुदायों के सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है। सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करके, मानवाधिकारों को कायम रखते हुए और व्यापक उपायों को लागू करके, भारत एक ऐसे समाज का निर्माण करने की दिशा में काम कर सकता है जो अपने सभी नागरिकों की गरिमा और समानता का सम्मान करता है, चाहे उनकी जाति या व्यवसाय कुछ भी हो।

13. विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के स्थानिक वितरण और ऊर्जा अर्थव्यवस्थाओं को नया आकार देने की उनकी क्षमता का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

Analyse the spatial distribution of renewable energy resources across different regions of the world and their potential to reshape energy economies. (250 Words) 15

उत्तर: नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों ने अपने पर्यावरणीय लाभों और वैश्विक ऊर्जा प्रणालियों को बदलने की क्षमता के कारण अधिक ध्यान आकर्षित किया है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में इन संसाधनों का वितरण ऊर्जा परिदृश्य को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है और अर्थव्यवस्थाओं को नया आकार देने की क्षमता रखता है।

नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का स्थानिक वितरण:

- **सौर ऊर्जा:**
  - उच्च सूर्यातप वाले क्षेत्रों, जैसे रेगिस्तान और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा की क्षमता प्रचुर मात्रा में है।
  - भारत, ऑस्ट्रेलिया और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों जैसे देशों में व्यापक सौर संसाधन हैं। भूमध्यरेखीय बेल्ट में लगातार और तीव्र धूप देखी जाती है, जिससे यह सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए एक प्रमुख स्थान बन जाता है।
- **पवन ऊर्जा:**
  - पवन ऊर्जा तटीय क्षेत्रों, खुले मैदानों और पहाड़ी दर्रों में प्रचलित है। लगातार हवा के पैटर्न के कारण उत्तरी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसे क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण पवन ऊर्जा क्षमता है। तटीय क्षेत्रों में अपतटीय पवन फार्म प्रमुखता प्राप्त कर रहे हैं।
- **पनबिजली:**
  - जलविद्युत क्षमता स्थलाकृति और पानी की उपलब्धता से निर्धारित होती है।
  - नॉर्वे, ब्राजील और कनाडा जैसे पहाड़ी इलाकों और प्रचुर जल निकायों वाले देशों में पर्याप्त जलविद्युत संसाधन हैं।
- **बायोमास और भूतापीय ऊर्जा:**
  - बायोमास संसाधन कृषि क्षेत्रों और जंगलों में केंद्रित हैं, जबकि भू-तापीय ऊर्जा क्षमता प्रशांत रिंग ऑफ फायर जैसे टेक्टोनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में अधिक है।
  - आइसलैंड और इंडोनेशिया जैसे देश अपनी भू-तापीय क्षमता का दोहन करते हैं।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

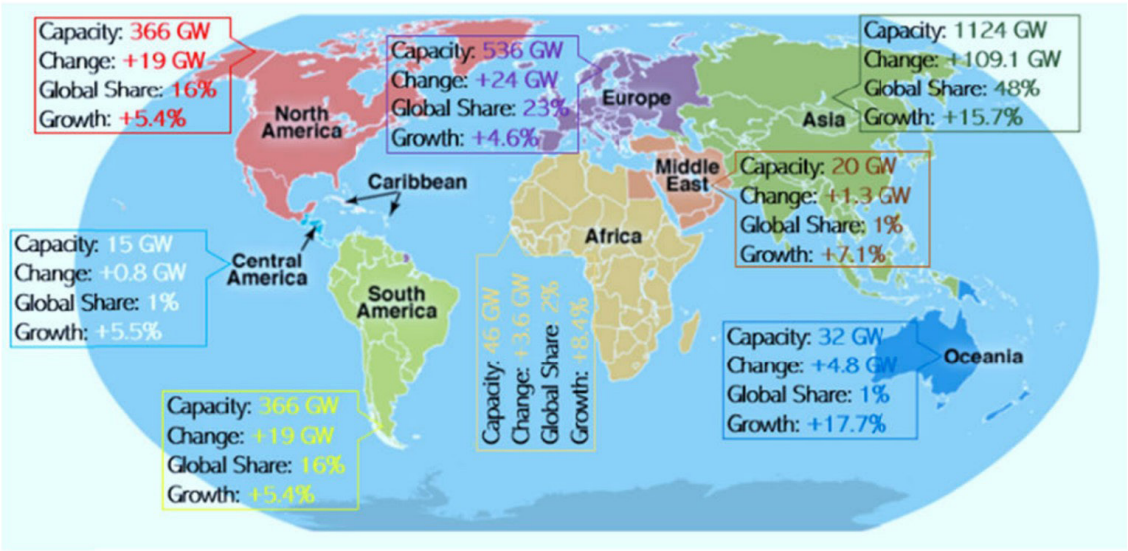

ऊर्जा अर्थव्यवस्थाओं को नया आकार देना:

- **जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी:**
  - प्रचुर मात्रा में नवीकरणीय संसाधनों तक पहुँच देशों को जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करने में सक्षम बनाती है। यह परिवर्तन ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाता है, मूल्य अस्थिरता को कम करता है और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है।
- **आर्थिक विविधीकरण:**
  - नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से संपन्न क्षेत्र स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में निवेश करके अपनी अर्थव्यवस्थाओं में विविधता ला सकते हैं। इससे रोजगार सृजन, स्थानीय उद्योग और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित निर्यात के अवसर पैदा होते हैं।
- **ऊर्जा स्वतंत्रता:**
  - पर्याप्त नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों वाले देश ऊर्जा आयात पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं। यह अधिक ऊर्जा आत्मनिर्भरता में योगदान देता है और वैश्विक ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशीलता को कम करता है।
- **वैश्विक जलवायु लक्ष्य:**
  - नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देता है, जैसे कि पेरिस समझौते में उल्लेख है। स्वच्छ ऊर्जा अपनाने वाले क्षेत्र वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **तकनीकी नवाचार और निवेश:**
  - नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढाँचे का विकास तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देता है और निवेश को आकर्षित करता है। इन क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के प्रयास प्रगति को आगे बढ़ाते हैं।

आगे की राह:

- **अंतर्विराम और संग्रह:**
  - कुछ नवीकरणीय स्रोत रुक-रुक कर होते हैं, इसलिए निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कुशल ऊर्जा भंडारण के समाधान की आवश्यकता होती है।
- **बुनियादी ढाँचा और निवेश:**
  - नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढाँचे का निर्माण और अद्यतन करने के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है, जो कम आर्थिक रूप से विकसित क्षेत्रों के लिए चुनौतियाँ पैदा कर सकता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

- **नीति और विनियामक ढाँचे:**
  - नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए सहायक नीतियाँ और नियम आवश्यक हैं।

इन संसाधनों का उपयोग करके और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन करके, देश ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विविधीकरण प्राप्त कर सकते हैं और वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों में योगदान कर सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का रणनीतिक उपयोग न केवल पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करता है बल्कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास और नवाचार को भी उत्प्रेरित करता है।

14. समुद्री संसाधनों के अत्यधिक दोहन ने असंख्य पारिस्थितिक समस्याओं को जन्म दिया है, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के लिए कई चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं। अनियंत्रित समुद्री संसाधन दोहन के पारिस्थितिक परिणामों पर विस्तार से चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Excessive exploitation of ocean resources has led to a myriad of ecological problems, posing significant challenges to marine ecosystems and biodiversity. Elaborate on the ecological consequences of unchecked ocean resource exploitation. (250 Words) 15

उत्तर: पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक हिस्से को आच्छादित करने वाला महासागर एक विशाल और महत्त्वपूर्ण संसाधन है जो जीवन को बनाए रखने और मानव सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का समर्थन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महासागरों द्वारा जलवायु को नियंत्रित करने, संसाधनों की एक विविध शृंखला प्रदान करने, व्यापार और परिवहन के लिए मार्ग प्रदान करने तथा वैज्ञानिक खोज और नवाचार के लिए अपार संभावनाएँ रखने के कारण इनका महत्त्व इनकी आश्चर्यजनक सुंदरता और विशालता से कहीं अधिक है।

हाल के समय में अत्यधिक दोहन के बारे में बढ़ती चिंताओं के साथ-साथ समुद्री संसाधनों का महत्त्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है।

पारिस्थितिक प्रभाव

पारिस्थितिक प्रभाव
- मछली भंडार और जैव विविधता में गिरावट
- बायकैच और गैर-लक्ष्य प्रजाति प्रभाव
- पर्यावास का विनाश और मूंगा चट्टानों का क्षरण
- यूट्रोफिकेशन और हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन
- महासागर अम्लीकरण
- तेल रिसाव और समुद्री प्रदूषण

- **मछली भंडार और जैव विविधता में गिरावट:**
  - संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, दुनिया के लगभग 33.1% मछली स्टॉक का अत्यधिक दोहन किया गया है और 2022 तक 60.3% का पूरी तरह से दोहन किया गया है।
  - उदाहरण के लिए, 1990 के दशक में उत्तरी अटलांटिक कॉड मत्स्य पालन का पतन कार्य करता है अत्यधिक मछली पकड़ने के परिणामों का एक स्पष्ट उदाहरण है, जिससे पारिस्थितिक असंतुलन और स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक कठिनाइयाँ पैदा होती हैं।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

- **बायकैच और गैर-लक्ष्य प्रजाति प्रभाव:**
  - अंधाधुंध मछली पकड़ने की प्रथाओं के परिणामस्वरूप अक्सर बड़ी मात्रा में मछली पकड़ी जाती है, जहाँ गैर-लक्षित प्रजातियाँ और किशोर मछलियाँ अनजाने में पकड़ी जाती हैं। बायकैच के समुद्री जैव विविधता पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
  - उदाहरण के लिए, वाक्विटा, एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय पोरपोइज, कैलिफोर्निया की खाड़ी में एक अन्य प्रजाति, टोटोबा मछली को लक्षित करने वाले अवैध गिलनेट मत्स्य पालन में बायकैच के कारण विलुप्त होने का सामना कर रहा है।
- **पर्यावास का विनाश और मूंगा चट्टानों का क्षरण:**
  - निचली ट्रॉलिंग और ड्रेजिंग से मूंगा चट्टानों, समुद्री घास के बिस्तरों और गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र सहित समुद्री तल के आवासों को शारीरिक क्षति होती है।
  - इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) की रिपोर्ट है कि दुनिया की 33% मूंगा चट्टानें अत्यधिक मछली पकड़ने और विनाशकारी मछली पकड़ने की प्रथाओं से खतरे में हैं।
- **यूट्रोफिकेशन और हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन:**
  - कृषि, जलीय कृषि और शहरी क्षेत्रों से अत्यधिक पोषक तत्त्वों के प्रवाह से यूट्रोफिकेशन होता है, जिसके परिणामस्वरूप ऑक्सीजन की कमी होती है और हानिकारक शैवाल का प्रसार होता है।
  - ये फूल विषाक्त पदार्थ छोड़ते हैं जो समुद्री जीवन को तबाह कर सकते हैं और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में चेसापीक खाड़ी में पोषक तत्त्व प्रदूषण के कारण बार-बार मृत क्षेत्र का अनुभव हुआ है।
- **महासागर अम्लीकरण:**
  - बढ़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन न केवल जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है बल्कि समुद्र के अम्लीकरण को भी बढ़ावा देता है। यह घटना समुद्री जीवों को प्रभावित करती है, विशेष रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के गोले या कंकाल वाले, जैसे- मूंगा चट्टान और शेलफिश।
  - आर्कटिक महासागर विशेष रूप से समुद्री अम्लीकरण के प्रति संवेदनशील है, जो समुद्री खाद्य जाल को बाधित कर सकता है और जोप्लांकटन और मछली जैसी प्रजातियों पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है।
- **तेल रिसाव और समुद्री प्रदूषण:**
  - अपतटीय ड्रिलिंग और परिवहन से तेल रिसाव का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर लंबे समय तक प्रभाव रहता है।
  - 2010 में मैक्सिको की खाड़ी में डीपवाटर होरिजन तेल रिसाव से लाखों बैरल तेल निकला, जिसके परिणामस्वरूप समुद्री जीवन, तटीय आवास और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को व्यापक नुकसान हुआ।

आगे की राह:

- **विज्ञान-आधारित मत्स्य पालन प्रबंधन लागू करना:**
  - सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को विज्ञान-आधारित मत्स्य प्रबंधन प्रथाओं को अपनाना और लागू करना चाहिये, जिसमें टिकाऊ पकड़ सीमा निर्धारित करना और उसका पालन करना शामिल है।
- **समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (MPA) का विस्तार:**
  - एमपीए की स्थापना और प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने से महत्त्वपूर्ण समुद्री आवासों की रक्षा करने और पारिस्थितिकी तंत्र को ठीक होने में मदद मिल सकती है। ग्लोबल ओशन एलायंस का लक्ष्य 2030 तक एमपीए में दुनिया के कम से कम 30% महासागरों की सुरक्षा करना है।
- **सतत जलकृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना:**
  - जिम्मेदार जलीय कृषि प्रथाओं को प्रोत्साहित करने से जंगली मछली के भंडार पर दबाव कम करते हुए समुद्री भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिल सकती है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

- **अवैध, असूचित और अनियमित (IUU) मछली पकड़ने का प्रतिरोध:**
  - निगरानी, नियंत्रण और निगरानी उपायों को मजबूत करने से अवैध, असूचित और अनियमित मछली पकड़ने पर अंकुश लगाया जा सकता है। खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा अपनाए गए पोर्ट स्टेट मेजर्स एग्रीमेंट (PSMA) का उद्देश्य बंदरगाह निरीक्षण और प्रवर्तन को बढ़ाकर अवैध रूप से पकड़ी गई मछलियों को बाजारों में प्रवेश करने से रोकना है।

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 14 (पानी के नीचे जीवन) के अनुरूप, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारे महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और निरंतर उपयोग के महत्त्व को पहचानता है। जैसे ही हम इस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं, हम एक स्वस्थ ग्रह की ओर यात्रा शुरू करते हैं जहाँ समुद्री संपदा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को संरक्षित करते हुए हमारे जीवन को समृद्ध बनाते रहेंगे।

15. मानसून भारतीय उपमहाद्वीप के हर पहलू को प्रभावित करता है, जिससे यह क्षेत्रीय गतिशीलता को निर्धारित करने वाली एक आवश्यक शक्ति बन जाता है। व्याख्या कीजिये। (250 शब्द) 15

The monsoon exerts an impact on every facet of the Indian subcontinent making it an essential force that shapes the region's dynamics. Elaborate. (250 Words) 15

उत्तर: मानसून एक प्राकृतिक जलवायु घटना है जो हवा के प्रतिरूप के मौसमी व्युत्क्रमण की विशेषता है। यह मौसम की स्थिति में विशिष्ट परिवर्तन लाता है और भारतीय उपमहाद्वीप जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। उनका आगमन और प्रगति विभिन्न आयामों को प्रभावित करती है, जो प्राकृतिक और सामाजिक गतिशीलता दोनों को निर्धारित करती है।

भारतीय उपमहाद्वीप पर मानसून का प्रभाव:

- **कृषि एवं खाद्य सुरक्षा:**
  - मानसून वर्षा का समय और मात्रा निर्धारित करता है, जो कृषि के लिए महत्त्वपूर्ण है।
  - फसलों की बुआई, अंकुरण और वृद्धि के लिए पर्याप्त मानसूनी वर्षा आवश्यक है, जिससे कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है।
  - उदाहरण: गंगा के मैदानी इलाकों जैसे क्षेत्रों में, जून में दक्षिण-पश्चिम मानसून का आगमन चावल जैसी फसलों के लिए बुवाई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है।
- **जल संसाधन और जल विज्ञान:**
  - मानसूनी वर्षा नदियों, झीलों और भूजल भंडारों को भर देती है, जिससे सिंचाई, घरेलू उपयोग और उद्योग के लिए जल की उपलब्धता बनी रहती है।
  - मानसूनी वर्षा का समय और वितरण पूरे वर्ष जल की उपलब्धता को प्रभावित करता है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता:**
  - मानसून मृदा की नमी और वनस्पति विकास को प्रभावित करके पारिस्थितिकी तंत्र की जीवन शक्ति को निर्धारित करता है।
  - मानसून के मौसम के दौरान पानी की उपलब्धता विविध वनस्पतियों और जीवों के समर्थन के लिए महत्त्वपूर्ण है।
  - उदाहरण: पश्चिमी घाट, एक जैव विविधता हॉटस्पॉट, भारी मानसूनी बारिश होती है जो सदाबहार जंगलों को बनाए रखती है जो नीलगिरि तहर और मालाबार सिवेट जैसी अनोखी प्रजातियों का घर है।
- **तापमान और जलवायु:**
  - मानसून की नमी से भरी हवाएँ गर्मी के महीनों के दौरान तापमान को नियंत्रित करती हैं, जिससे अत्यधिक गर्मी से राहत मिलती है।
  - तापमान और वर्षा पैटर्न में मौसमी बदलाव उपमहाद्वीप के जलवायु मौसम को परिभाषित करता है।
- **सांस्कृतिक प्रथाएँ और परंपराएँ:**
  - मानसून सांस्कृतिक प्रथाओं, रीति-रिवाजों और त्योहारों से गहराई से जुड़ा हुआ है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

- वे सामुदायिक गतिविधियों, सामाजिक समारोहों और कृषि समारोहों को प्रभावित करते हैं।

- **प्राकृतिक खतरे और आपदाएँ:**
  - तीव्र मानसूनी वर्षा से बाढ़, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाएँ आ सकती हैं, जिससे मानव बस्तियाँ और बुनियादी ढाँचा प्रभावित हो सकता है।
  - जैसे- हाल ही में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हुए भूस्खलन का सीधा संबंध अत्यधिक मानसूनी बारिश से था।
- **शहरी नियोजन और बुनियादी ढाँचा:**
  - मानसून प्रतिरूप अतिरिक्त वर्षा के प्रबंधन और बाढ़ को रोकने के लिए शहरी नियोजन, जल निकासी प्रणालियों और निर्माण प्रथाओं को प्रभावित करता है।
  - उदाहरण: मुंबई जैसे शहरों में भारी मानसूनी बारिश के दौरान बाढ़ आने का खतरा होता है, जिसके लिए प्रभावी जल निकासी व्यवस्था और बाढ़ प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता होती है।
- **आर्थिक क्षेत्र:**
  - मानसून कृषि, मत्स्य पालन और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करता है, जो जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रति संवेदनशील हैं।
  - अत्यधिक मानसूनी वर्षा के कारण भूस्खलन, बाढ़ आदि जैसी आपदाएँ आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करती हैं, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ती है।
  - जैसे- टमाटर की हालिया कीमत में वृद्धि मुख्य रूप से हिमालयी राज्यों में मानसून प्रेरित आपदाओं के कारण हुई।
- **स्वास्थ्य एवं रोग:**
  - मानसून जलजनित बीमारियों को बढ़ावा देता है, क्योंकि भारी वर्षा जल स्रोतों को दूषित कर सकती है और स्वास्थ्य चुनौतियों में योगदान कर सकती है।
  - जैसे- अत्यधिक वर्षा और यमुना नदी में बाढ़ के कारण हाल ही में कंजंक्टिवाइटिस, डेंगू आदि जैसे संक्रमणों में वृद्धि हुई है।

जबकि मानसून निर्विवाद रूप से एक महत्त्वपूर्ण घटना है जो भारतीय उपमहाद्वीप की गतिशीलता को निर्धारित करता है, यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि यह क्षेत्र के जटिल जलवायु पैटर्न और सामाजिक प्रणालियों का एकमात्र निर्धारक नहीं है। पहाड़ों की दिशा, समुद्री धाराएँ, वैश्विक व्यापार पैटर्न, संस्कृति आदि जैसे विभिन्न कारकों की परस्पर क्रिया सामूहिक रूप से उपमहाद्वीप की अनूठी जलवायु, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन में योगदान करती है।

16. अनाज व्यापार को अनुकूलित करने, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और वैश्विक कृषि बाजार को स्थिर करने में 'काला सागर अनाज पहल' के महत्त्व की जाँच कीजिये। इसके अनिश्चित भविष्य से उत्पन्न होने वाली आशंकाओं, वैश्विक अनाज आपूर्ति और कीमतों पर संभावित प्रभावों का पता लगाइये। (250 शब्द) 15

Examine the significance of the 'Black Sea Grain Initiative' in optimizing grain trade, enhancing food security, and stabilizing the global agricultural market. Explore the apprehensions arising from its uncertain future and the potential ramifications on global grain supplies and prices. (250 Words) 15

उत्तर: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष ने वैश्विक खाद्य, ईंधन और उर्वरक असुरक्षा का बहुसंकट पैदा कर दिया है। फरवरी, 2022 में इस क्षेत्र से निर्यात बंद होने से उपलब्धता कम हो गई और लागत बढ़ गई, जिससे कई देशों की खाद्य सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया जो अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए रूस और यूक्रेन पर निर्भर हैं।

'काला सागर अनाज पहल' एक सहयोगात्मक प्रयास है जिसका उद्देश्य एक विनियमित समुद्री गलियारे के माध्यम से वैश्विक बाजारों में यूक्रेनी अनाज का सुरक्षित निर्यात सुनिश्चित करना है। यह अनाज व्यापार को अनुकूलित करने, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और अनाज शिपमेंट के लिए एक संरचित ढाँचा प्रदान करके वैश्विक कृषि बाजार को स्थिर करने में मदद करता है, खासकर संघर्षों या व्यवधानों के दौरान।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

संयुक्त राष्ट्र और तुर्किये की मध्यस्थता में 'ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव' की स्थापना यूक्रेन से शेष विश्व में महत्त्वपूर्ण खाद्य और उर्वरक निर्यात को फिर से शुरू करने के लिए की गई थी।

परिचालन तंत्र:

- **संयुक्त समन्वय केंद्र (JCC):** जेसीसी, जिसमें रूस, तुर्कीये, यूक्रेन और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि शामिल थे, ने पहल के कार्यान्वयन का समन्वय और निरीक्षण किया।
- **वाणिज्यिक जहाज पंजीकरण:** नामित समुद्री गलियारे के माध्यम से निगरानी, निरीक्षण और सुरक्षित मार्ग के लिए वाणिज्यिक जहाजों को जेसीसी के साथ पंजीकरण करना आवश्यक था।

'काला सागर अनाज पहल' का महत्त्व:

- काला सागर अनाज पहल अनाज व्यापार को अनुकूलित करने, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और वैश्विक कृषि बाजार को स्थिर करने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- यह चोर्नोमोर्स्क, ओडेसा और युजनी/पिवडेनी जैसे प्रमुख बंदरगाहों के माध्यम से यूक्रेनी खाद्यान्न निर्यात के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करता है।
- यूक्रेन, गेहूँ, मक्का और अन्य अनाज का एक प्रमुख निर्यातक, पहल के सुव्यवस्थित व्यापार मार्गों से लाभान्वित होता है।

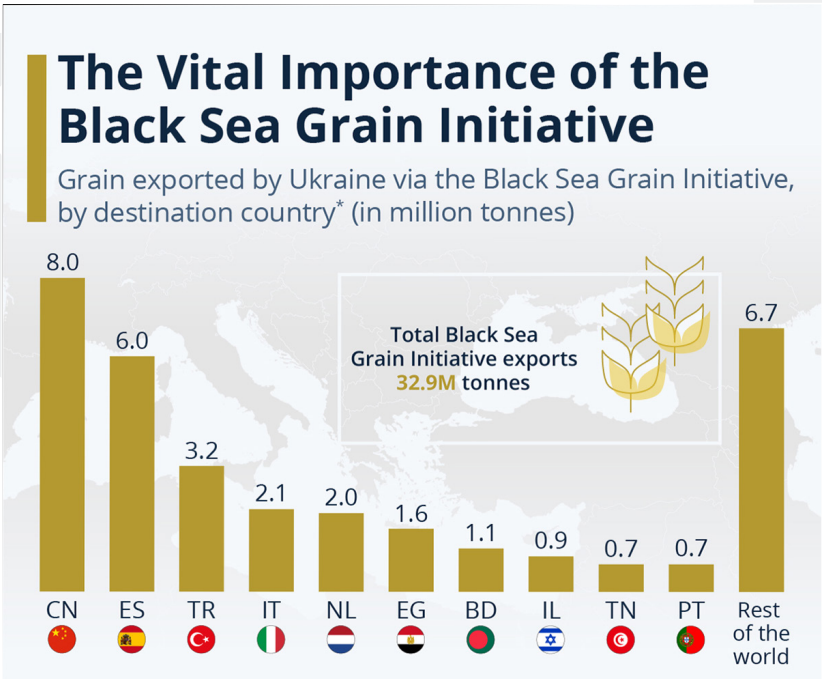

काला सागर अनाज पहल कई प्रमुख क्षेत्रों में सर्वोपरि महत्त्व रखती है, जो निम्नलिखित तरीकों से अनाज व्यापार के अनुकूलन, खाद्य सुरक्षा में वृद्धि और वैश्विक कृषि बाजार के स्थिरीकरण में योगदान करते हैं-

खाद्य सुरक्षा बढ़ाना:

- संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार, इस पहल के माध्यम से मानवीय मामलों के समन्वय के लिए लगभग 9.8 मिलियन टन अनाज भेजा गया है।
- पहल की उपस्थिति ने जमाखोरी को रोका है और विभिन्न देशों को अनाज की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

वैश्विक कृषि बाजार को स्थिर करना:

- संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का खाद्य मूल्य सूचकांक, खाद्य कीमतों में लगातार महीनों की गिरावट के साथ पहल के प्रभाव को दर्शाता है।
- पहल द्वारा प्रदान किए गए स्थिर व्यापार मार्ग बाजार में उतार-चढ़ाव को रोकने, संतुलित आपूर्ति-मांग संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं।

चुनौतियाँ:

- 'काला सागर अनाज पहल' का अनिश्चित भविष्य इसकी निरंतरता और प्रभाव के बारे में चिंताएँ उत्पन्न करता है।
- आँकड़ों से पता चलता है कि अतिरिक्त 60 दिनों के लिए समझौते को नवीनीकृत करने का रूस का निर्णय चल रही बातचीत और अनिश्चितता को रेखांकित करता है।
- भूराजनीतिक गतिशीलता संभावित रूप से इस पहल को बाधित कर सकती है, जिससे वैश्विक अनाज आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।

कीमतों में वृद्धि को रोकने में भूमिका

- **महत्त्वपूर्ण अनाज शिपमेंट:** इस पहल के तहत लगभग 9.8 मिलियन टन अनाज सफलतापूर्वक भेजा गया है, जो आवश्यक खाद्य वस्तुओं के निरंतर और विश्वसनीय प्रवाह में योगदान देता है।
- **संयुक्त राष्ट्र FAO खाद्य मूल्य सूचकांक:** कई महीनों से संयुक्त राष्ट्र FAO खाद्य मूल्य सूचकांक में लगातार गिरावट ने बाजारों में आपूर्ति बाधाओं में संभावित कमी का संकेत दिया है।
- **जमाखोरी शमन:** इस पहल ने अनाज जमाखोरों को अपना स्टॉक बेचने के लिए मजबूर किया, जिससे आपूर्ति और कीमतों पर दबाव कम हो गया।
- **जीवन यापन की वैश्विक लागत:** पहल को वैश्विक जीवन-यापन संकट की लागत में पर्याप्त अंतर लाने का श्रेय दिया गया।
- **शिपमेंट का विविध गंतव्य:** इस पहल के अंतर्गत अनाज शिपमेंट देशों की विभिन्न आय श्रेणियों तक पहुँच गया है: 44% उच्च आय वाले, 28% निम्न और मध्यम आय वाले और 27% उच्च-मध्यम आय वाले देशों तक। यह विविध वितरण सभी आय स्तरों पर खाद्य सुरक्षा पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।

आशंकाएँ और अनिश्चित भविष्य:

- रूस के इस पहल से हटने के कारण चिंताएँ पैदा हो रही हैं, जिससे यूक्रेन से सुरक्षित अनाज मार्ग की निरंतरता पर संदेह उत्पन्न हो रहा है।
- भू-राजनीतिक तनाव, बदलते राजनयिक संबंध या अप्रत्याशित परिस्थितियाँ पहल के कामकाज को खतरे में डाल सकती हैं।
- इस पहल के संभावित व्यवधान से आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट आ सकती है, जिससे अनाज की कीमतों में अस्थिरता पैदा हो सकती है।

वैश्विक अनाज आपूर्ति और कीमतों पर प्रभाव:

- इस पहल के बंद होने से यूक्रेन से अनाज की आपूर्ति कम हो सकती है, जिससे इन आयातों पर निर्भर देशों पर असर पड़ेगा।
- आपूर्ति में कमी से आयातक देशों के बीच प्रतिस्पर्द्धा बढ़ सकती है, जिससे संभावित रूप से कीमतें बढ़ सकती हैं।
- वैश्विक अनाज बाजार, जो पहले से ही भू-राजनीतिक घटनाओं के प्रति संवेदनशील है, इस पहल के अनिश्चित भविष्य के कारण और अधिक अस्थिरता का अनुभव कर सकता है।

काला सागर अनाज पहल अनाज बाजारों और खाद्य कीमतों को स्थिर करने की दिशा में एक मूल्यवान कदम प्रदान करता है, लेकिन खाद्य कीमतों और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाली जटिल चुनौतियों का समाधान करने के लिए व्यापक प्रयासों और सहयोग की आवश्यकता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

17. भारत में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में अनुच्छेद-32 की भूमिका का परीक्षण कीजिये। अधिकारों के उल्लंघन को संबोधित करने, विधि के शासन की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने तथा संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप को लागू करने हेतु नागरिकों को सशक्त बनाने की, इसकी क्षमता का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

Examine the role of Article-32 as a vital instrument for safeguarding fundamental rights in India. Analyse its capacity to empower citizens in addressing rights violations and enabling judicial intervention to ensure the supremacy of the rule of law and uphold constitutional values.
(250 Words) 15

उत्तर: अनुच्छेद-32, मौलिक अधिकारों को शामिल करने वाले भारतीय संविधान के भाग III की आधारशिला है, जो उन व्यक्तियों के लिए एक शक्तिशाली सहारा है जिनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। इसका महत्त्व डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के अभिकथन- यह संविधान की "आत्मा" और "हृदय" है, में उपयुक्त रूप से परिलक्षित होता है।

अनुच्छेद-32 की भूमिका और तर्क:

- अनुच्छेद-32 "Ubi Jus Ibi Remedium" के सिद्धांत को कायम रखता है, यह सुनिश्चित करता है कि जहाँ भी अधिकार है, वहाँ उपचार मौजूद है।
- यह नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करने का अधिकार देता है, जिससे मध्यस्थों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- यह प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के अभिभावक और संरक्षक दोनों के रूप में स्थापित करता है, इन अधिकारों के रक्षक के रूप में प्रभाव रखता है।
- बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण जैसे रिट मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए क्रमशः अनुच्छेद-32 और 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किए गए शक्तिशाली उपकरण हैं।
- संसद इन अधिकारों के "संरक्षक और गारंटर" के रूप में अदालतों की भूमिका को रेखांकित करते हुए अन्य अदालतों को भी समान अधिकार प्रदान कर सकती है।
- मूल संरचना सिद्धांत के अन्तर्गत अनुच्छेद-359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल को छोड़कर, सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है।

यह अनुच्छेद नागरिकों को उनके अधिकारों के उल्लंघन को संबोधित करने का अधिकार देता है और न्यायिक हस्तक्षेप के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करता है, जिससे निम्नलिखित तरीकों से देश में कानून के शासन और संवैधानिक मूल्यों को कायम रखा जा सकता है।

नागरिकों का सशक्तीकरण:

- अनुच्छेद-32 नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाने का सीधा मार्ग प्रदान करके सशक्त बनाता है। यह सीधी पहुँच सुनिश्चित करती है कि न्याय अनावश्यक देरी या बाधाओं के बिना सुलभ है।
- अनुच्छेद-32 में सन्निहित "Ubi Jus Ibi Remedium" का सिद्धांत नागरिकों को जब भी उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है, निवारण प्राप्त करने के साधन के साथ सशक्त बनाता है, एक सहभागी और सक्रिय नागरिकता को बढ़ावा देता है।

उदाहरण:

- गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए पत्रकार सिद्दीक कप्पन की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी, यह रेखांकित करता है कि कैसे अनुच्छेद-32 नागरिकों को उन कार्यों को चुनौती देने में सक्षम बनाता है जो उनके संवैधानिक अधिकारों को कम कर सकते हैं।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

न्यायिक हस्तक्षेप की सुविधा:

- अनुच्छेद-32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट और आदेश जारी करने का अधिकार देता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि किसी भी अपराध को सुधारने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप आसानी से उपलब्ध है।

  उदाहरण:

  - मौलिक अधिकारों के रक्षक और गारंटर के रूप में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका का उदाहरण 'श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ' जैसे मामलों में दिया गया है, जहाँ इसने नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66A को रद्द कर दिया था।
  - एक और हालिया उदाहरण, अर्नब गोस्वामी मामला है, जहाँ किसी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद-32 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की गई थी।

विधि के शासन और संवैधानिक मूल्यों को कायम रखना:

- अनुच्छेद-32 विधि के शासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुल्लंघनीय है।
- अनुच्छेद-32 नागरिकों को संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करने वाले कानूनों, नीतियों और कार्यों को चुनौती देने के लिए एक तंत्र प्रदान करके संविधान की सर्वोच्चता को मजबूत करता है।
- व्यक्तियों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करने का अधिकार देकर, यह मौलिक अधिकारों पर किसी भी अतिक्रमण के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कार्य करता है।

  उदाहरण:

  - आधार (Aadhaar) वाद (पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ) में अनुच्छेद-32 ने सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद-21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में निजता की पुष्टि करने की अनुमति दी। इस हस्तक्षेप ने सरकार की आधार नीति को व्यक्तिगत गोपनीयता के साथ संतुलित किया, जिससे मूल संवैधानिक मूल्यों को मजबूती मिली।

सीमाएँ:

- केवल मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर लागू होता है, मौलिक अधिकारों से असंबंधित शिकायतों को अनुच्छेद-32 के तहत संबोधित नहीं किया जा सकता है।
- अगंभीर याचिकाओं पर विचार नहीं किया जाता, अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए नागरिकों के पास वैध और गंभीर शिकायतें होनी चाहिये।
- सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमों का बोझ पर्याप्त है, जिससे अनुच्छेद-32 के मामलों की सुनवाई में देरी हो सकती है, जिससे समय पर न्याय मिलने पर असर पड़ सकता है।
- प्रक्रिया में शामिल लागत और समय नागरिकों को अनुच्छेद-32 के तहत निवारण की मांग करने से रोक सकता है।
- प्रतिकूल निर्णयों का जोखिम; अदालत के फैसले हमेशा नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं।
- उपलब्ध वैकल्पिक उपायों के कारण कुछ मामले खारिज कर दिए गए, नागरिकों को निचली अदालतों या प्रशासनिक चैनलों का पता लगाने की आवश्यकता हो सकती है

संवैधानिक उपचार तत्काल प्रभाव वाले शक्तिशाली उपकरण हैं, जो उन्हें भारत में एक महत्त्वपूर्ण मौलिक अधिकार बनाते हैं। उभरती चुनौतियों के बावजूद, अनुच्छेद-32 न्यायपालिका द्वारा नागरिकों के अधिकारों की निरंतर सुरक्षा सुनिश्चित करता है, यह आश्वासन देता है कि स्वतंत्र राष्ट्र में कोई भी अपने अधिकारों से वंचित नहीं है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

18. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) भारत की प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजारों को विनियमित करने तथा आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। तथापि, इसकी परिचालन प्रभावशीलता कई चुनौतियों से बाधित है, जिनका समाधान न्यायसंगत और पारदर्शी बाजार परिवेश की गारंटी के लिए किया जाना चाहिये। परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

SEBI holds a pivotal position in regulating and advancing India's securities and commodity markets. Nonetheless, its operational effectiveness is hindered by several challenges that must be tackled to guarantee a just and transparent market environment. Examine. (250 Words) 15

उत्तर: 12 अप्रैल, 1992 को स्थापित, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) भारत की प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजारों को विनियमित करने और आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। हर्षद मेहता प्रतिभूति घोटाले के बाद 1991 में नरसिम्हम समिति द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी, जिसमें निवेशकों की सुरक्षा और बाजार की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत नियामक ढाँचे की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था। मुंबई में मुख्यालय और नई दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता तथा चेन्नई सहित प्रमुख शहरों में क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ सेबी बाजार स्थिरता बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उदाहरण:

- हालिया घटनाक्रम में, सेबी ने अदानी समूह संबंधी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय-सीमा से ठीक पहले छः महीने के विस्तार की मांग की। इस विस्तार का अनुरोध किया गया था ताकि सेबी को अदानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों की जाँच पूरी करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

सेबी की शक्तियाँ एवं कार्य:

शक्तियाँ

- सेबी के पास विधायी और अर्द्ध-न्यायिक अधिकार हैं, वह नियमों का मसौदा तैयार कर सकता है, जाँच कर सकता है और जुर्माना लगा सकता है।
- प्रतिभूति कानून (संशोधन) अधिनियम, 2014 सेबी को 100 करोड़ रुपये से अधिक की धन पूलिंग योजनाओं को विनियमित करने का अधिकार देता है। अनुपालन न करने पर संपत्ति जब्त कर ली जाएगी।
- सेबी अध्यक्ष "खोज और जब्ती कार्रवाई" को अधिकृत कर सकता है।
- सेबी जाँच के दौरान टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड जैसी जानकारी एकत्रित कर सकता है।
- सेबी उद्यम पूंजी कोष, म्यूचुअल फंड को पंजीकृत और विनियमित करता है तथा बाजार सहभागियों पर नियम लागू करता है।

कार्य:

- भारतीय निवेशकों के प्रतिभूति बाजार हितों की रक्षा करना।
- निर्बाध बाजार कामकाज और विकास को बढ़ावा देना।
- प्रतिभूति बाजार के भीतर व्यापार संचालन को विनियमित करना।
- विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के लिए प्लेटफॉर्म की सुविधा प्रदान करना।
- जमाकर्त्ताओं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, संरक्षकों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों आदि के कार्यों को विनियमित करना।
- निवेशकों को प्रतिभूति बाजारों और मध्यस्थों के बारे में शिक्षित करना।
- कपटपूर्ण प्रथाओं पर रोक लगाना और निष्पक्षता सुनिश्चित करना।
- कंपनी के अधिग्रहण और अधिग्रहण की निगरानी करना।
- अनुसंधान के माध्यम से प्रतिभूति बाजार को कुशल और अद्यतन बनाए रखना।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

सेबी की विनियामक उपलब्धियाँ:

- **निवेशक सुरक्षा:** "निवेशक सुरक्षा और शिक्षा कोष" जैसे तंत्रों के माध्यम से निवेशकों के विश्वास को मजबूत किया गया जो मध्यस्थ गैर-अनुपालन की भरपाई करता है।
- **पारदर्शी बाजार:** प्रकटीकरण मानदंडों के माध्यम से निष्पक्षता सुनिश्चित की गई, जिसका उदाहरण सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) पहलों का अनिवार्य प्रकटीकरण है।
- **बाजार की सत्यनिष्ठा:** सतर्क निगरानी हेतु उन्नत तकनीक का इस्तेमाल, NSE सह-स्थान प्रकरण जैसी अनियमितताओं की तुरंत पहचान की गई।
- **नवाचार और पहुँच:** सुव्यवस्थित IPO प्रक्रियाओं के साथ खुदरा निवेशक की पहुँच में वृद्धि, जिसका उदाहरण, "एकीकृत भुगतान इंटरफेस" (UPI) है।
- **कॉर्पोरेट गवर्नेंस:** बेहतर जवाबदेही, अनिवार्य स्वतंत्र निदेशकों और ऑडिट समितियों जैसे मानदंडों के साथ शेयरधारक अधिकार।
- **निवेशक साक्षरता:** "स्मार्ट इन्वेस्टर" कार्यशालाओं और ऑनलाइन संसाधनों जैसी पहलों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दिया गया।
- **सहयोग:** IOSCO जैसे निकायों के साथ वैश्विक साझेदारी ने विनियमन में सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को सुनिश्चित किया।
- **प्रवर्तन:** रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 25 करोड़ रुपये के जुर्माने जैसे महत्त्वपूर्ण दंडों के साथ बाजार अनुशासन का प्रदर्शन किया।
- **बाजार का विकास:** वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) जैसे अच्छी तरह से विनियमित वित्तीय उत्पादों के साथ विविधीकरण को बढ़ावा दिया।
- **प्रौद्योगिकी को अपनाना:** एकीकृत बाजार निगरानी प्रणाली (IMSS) जैसी तकनीकी-एकीकृत निगरानी के माध्यम से नियामक दक्षता में वृद्धि।

चुनौतियाँ:

- सेबी की भूमिका की जटिलता बढ़ गई है, जिससे बाजार आचरण विनियमन पर ध्यान केंद्रित हो गया है।
- सेबी की प्रवर्तन शक्तियाँ अमेरिका और ब्रिटेन के समकक्षों से अधिक हैं, जिससे संभावित आर्थिक क्षति के बारे में चिंताएँ पैदा होती हैं।
- नियामक शक्तियाँ पर्याप्त हैं, जिनमें पूर्व परामर्श और समीक्षा तंत्र का अभाव है, जिससे हितधारकों के बीच भय और बेचैनी पैदा होती है।
- विनियमन संबंधी खामियाँ मौजूद हैं, विशेषकर अंदरूनी व्यापार जैसे क्षेत्रों में।
- प्रतिभूतियों की पेशकश करने वाले दस्तावेज भारी-भरकम होते हैं और उनमें मौलिक प्रकटीकरण की कमी होती है।

सुधार की आवश्यकता:

- नीतिगत सुधार के दृष्टिकोण में बदलाव।
- उन्नत मानव संसाधन प्रबंधन और प्रतिभा के लिए पार्श्व प्रवेश (lateral entry) देना।
- निरंतर निगरानी और बेहतर बाजार आसूचना के माध्यम से प्रवर्तन को मजबूत किया जाना।
- अतिव्यापन और विभाजन संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए एक एकीकृत वित्तीय नियामक पर विचार।

विश्वसनीय पूंजी बाजार सुनिश्चित करने में सेबी की भूमिका सर्वोपरि है। अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ तालमेल आवश्यक है। सेबी को निवेशकों के विश्वास और बाजार की सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए बाजार की घटनाओं पर पहले से ध्यान देना चाहिये।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

19. **भारतीय राज्यों में राष्ट्रपति शासन एक संवैधानिक प्रावधान है जिसका उद्देश्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना तथा सुशासन सुनिश्चित करना है, लेकिन इसके संभावित दुरुपयोग ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अखंडता के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिये। राष्ट्रपति शासन के प्रावधान से जुड़े मुद्दों पर भी प्रकाश डालिये। (250 शब्द) 15**

President's Rule in Indian states is a Constitutional provision aimed at maintaining law and order and ensuring good governance, but its potential misuse has raised concerns about the integrity of democratic processes. Mention the procedure for imposition of President's rule. Also, highlight the issues associated with the provision of President's rule. (250 Words) 15

उत्तर: संविधान का अनुच्छेद-356 "राष्ट्रपति शासन" या "राज्य आपातकाल" का प्रावधान करता है। यह संवैधानिक प्रावधान भारत के राष्ट्रपति को किसी राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेने का अधिकार देता है, जब उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की कथित विफलता होती है।

प्रक्रिया:

- **राज्यपाल की रिपोर्ट:** यह प्रक्रिया राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजने से शुरू होती है। रिपोर्ट राज्य में संवैधाानिक तंत्र की विफलता के कारणों को रेखांकित करती है, जैसे कानून और व्यवस्था का टूटना या स्थिर सरकार बनाने में असमर्थता।
- **केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा:** राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद स्थिति का आकलन करती है। केंद्र सरकार राज्यपाल से अतिरिक्त जानकारी मांग सकती है। यदि मंत्रिपरिषद को लगता है कि स्थिति में केंद्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है तो वह राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करती है।
- **राष्ट्रपति की संतुष्टि:** राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा का मूल्यांकन करता है। राष्ट्रपति को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि वास्तव में राज्य में संवैधानिक तंत्र सुचारु रूप से कार्य नहीं कर रहा है और राज्यपाल से रिपोर्ट मांगने जैसे अन्य विकल्प समाप्त हो गए हैं।
- **राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा:** एक बार जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाता है तो एक उद्घोषणा जारी की जाती है, जिसमें घोषणा की जाती है कि राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा या उसकी ओर से किया जाएगा। राज्य में राज्य सरकार की शक्तियाँ और कार्य अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए जाते हैं और राष्ट्रपति एक नियुक्त प्रतिनिधि के माध्यम से प्रशासन अपने हाथ में ले लेता है।
- **संसदीय अनुमोदन:** राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिये। अनुमोदन दोनों सदनों में साधारण बहुमत, यानी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत से होता है।
- **अवधि और विस्तार:** प्रारंभ में छह महीने के लिए वैध राष्ट्रपति शासन को हर छः महीने में संसद की मंजूरी के साथ अधिकतम तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- **निरसन:** राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को राष्ट्रपति किसी भी समय बाद की उद्घोषणा द्वारा रद्द कर सकता है। ऐसी उद्घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। यह आमतौर पर तब होता है जब कोई पार्टी नेता विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्रदर्शित करता है और सरकार बनाने का दावा पेश करता है।

मुद्दे:

- **राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग:** राजनीतिक लाभ के लिए कई बार राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग किया गया है, जिसके कारण शासन के वास्तविक विघटन के बजाय राजनीतिक विचारों के आधार पर इसे लागू करने के आरोप लगे हैं।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

- **संघवाद को खतरा:** राष्ट्रपति शासन लागू करने को राज्यों की स्वायत्तता पर अतिक्रमण और संघवाद के सिद्धांतों को कमजोर करने के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि इसमें राज्य के मामलों में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप शामिल है।
- **मानदंड में स्पष्टता का अभाव:** राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाना चाहिये, यह निर्धारित करने के मानदंड में स्पष्टता का अभाव है, जिससे व्यक्तिपरकता और अलग-अलग व्याख्याओं के लिए जगह बच जाती है, जिससे संभावित रूप से इसका मनमाना उपयोग हो सकता है।
- **विकास और शासन पर प्रभाव:** राष्ट्रपति शासन राज्यों में नीति और शासन की निरंतरता को बाधित कर सकता है, विकास पहलों को प्रभावित कर सकता है और प्रशासनिक निर्णयों में अनिश्चितता पैदा कर सकता है।
- **स्थानीय प्रतिनिधित्व को कमजोर करना:** राज्य विधानसभाओं और निर्वाचित सरकारों का निलंबन स्थानीय मुद्दों और चिंताओं के प्रतिनिधित्व को कमजोर कर सकता है, जिससे प्रभावी लोकतांत्रिक शासन में बाधा आ सकती है।

अनुच्छेद 356 के संभावित दुरुपयोग को रोकने और लोकतांत्रिक शासन की सच्ची भावना को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एस.आर. बोम्मई मामले में दी गई सिफारिशों का सही मायने में पालन किया जा रहा है।

20. 'जल, सफाई एवं स्वच्छता (WASH)' पहल में निवेश करके समाज किस प्रकार स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति कर सकते हैं? चर्चा कीजिये।
(250 शब्द) 15

Explain how societies can make substantial strides towards fulfilling the Sustainable Development Goals pertaining to health, water and sanitation by investing in Water, Sanitation and Hygiene (WASH) initiatives?
(250 Words) 15

उत्तर: WASH 'जल, सफाई एवं स्वच्छता' का संक्षिप्त रूप है। WASH तक सार्वभौमिक, सस्ती एवं स्थायी पहुँच अंतर्राष्ट्रीय विकास हेतु एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है तथा SDG-6 का केंद्र बिंदु है।

WASH का मूल सार समुदायों और स्कूली बच्चों को बुनियादी सफाई और स्वच्छता के बारे में शिक्षित करना है जिसमें लैंगिक समानता और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है।

WASH सुविधाओं के संदर्भ में वैश्विक आकलन

- WHO और यूनिसेफ की 2016 की रिपोर्ट से स्वास्थ्य सेवा में WASH सेवाओं की वैश्विक अपर्याप्तता का पता चलता है।
- लगभग 896 मिलियन लोगों के पास जल सेवाओं का अभाव है।
- 1.5 अरब से अधिक लोगों के पास स्वच्छता सेवाओं का अभाव है।
- छ: में से एक सुविधा में स्वच्छता सेवाओं का अभाव था।
- अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण सफाई पर अपर्याप्त डेटा।

जल, सफाई और स्वच्छता (WASH) पहल में निवेश करने से कई सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की उपलब्धि में काफी प्रगति हो सकती है, विशेष रूप से स्वास्थ्य (SDG-3), जल तथा स्वच्छता (SDG-6) और लैंगिक समानता (SDG-5) से संबंधित लक्ष्य) एवं अन्य जैसे:

स्वास्थ्य सुधार (SDG-3):

- जलजनित बीमारियों को रोक कर तथा संक्रमण के प्रसार को कम करके, WASH बाल मृत्यु दर को कम करता है (SDG-3.2) और समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

स्वच्छ जल एवं स्वच्छता (SDG-6):

- WASH पहल सभी के लिए जल और सफाई की उपलब्धता तथा स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लक्ष्य के अनुरूप है।
- सुरक्षित पेयजल (SDG- 6.1) और उचित स्वच्छता सुविधाओं (SDG- 6.2) तक पहुँच WASH मूल प्रयासों में है।

लैंगिक समानता (SDG-5)

- WASH पहल महिलाओं और लड़कियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करके लैंगिक समानता हासिल करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- उचित स्वच्छता सुविधाओं का प्रावधान महिलाओं और लड़कियों की गरिमा, सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (SDG-4)

- स्कूलों में स्वच्छ पानी, स्वच्छता और स्वच्छता सेवाओं तक पहुँच SDG-4 के समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य का समर्थन करती है।

असमानताओं में कमी (SDG-10)

- WASH पहल यह सुनिश्चित करके असमानताओं को कम करने में मदद कर सकती है कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों सहित कमजोर आबादी की आवश्यक सेवाओं तक पहुँच हो।

सभ्य कार्य और आर्थिक विकास (SDG-8)

- WASH हस्तक्षेपों के कारण बेहतर स्वास्थ्य से अधिक उत्पादक कार्यबल का निर्माण होता है और आर्थिक विकास में योगदान मिलता है।

जल जीवन और भूमि पर जीवन (SDG-14 एवं 15)

- WASH पहल द्वारा प्रचारित उचित अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता प्रथाएँ पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण तथा जल और मृदा प्रदूषण को रोकने में योगदान करती हैं।

WASH का महत्त्व:

- WHO की रिपोर्ट में WASH के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया।
- असुरक्षित WASH से 395,000 बच्चों की मौतें।
- डायरिया और श्वसन संक्रमण प्रमुख कारण।
- वैश्विक आबादी के आधे हिस्से के पास पर्याप्त WASH पहुँच का अभाव है।
- WHO की "Burden of Disease" report (2019) ने अपर्याप्त WASH पहुँच पर प्रकाश डाला, जिससे 1.4 मिलियन मौतें और 74 मिलियन DALY (Disability-Adjusted Life Year) हुई।

सकारात्मक प्रभाव:

- WHO की 2012 की रिपोर्ट से पता चलता है कि कम स्वास्थ्य लागत, बढ़ी हुई उत्पादकता और समय से पहले होने वाली मौतों के कारण स्वच्छता में निवेश करने पर खर्च किए गए प्रत्येक डॉलर की लब्धि 5.50 डॉलर है।
- WASH संक्रमण की रोकथाम, नियंत्रण और रोगाणुरोधी प्रतिरोध के साथ संरेखित होता है तथा स्वास्थ्य देखभाल परिस्थितियों हेतु कई चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

- उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की रोकथाम और प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण, गहन नियंत्रण या उन्मूलन प्रयासों को बढ़ावा देना।

भारत में चुनौतियाँ:

- **उच्च लागत:** भारतीय स्वास्थ्य सुविधाओं में WASH को बढ़ाने पर $354 मिलियन की पूंजी और $289 मिलियन का आवर्ती व्यय हो सकता है।
- **वैश्विक पहुँच के मुद्दे:** WHO-यूनिसेफ रिपोर्ट (2019) ने संकेत दिया कि 4 में से 1 स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में बुनियादी जल सेवा का अभाव था, 5 में से 1 में स्वच्छता की कमी थी और 42% में स्वच्छता सुविधाओं का अभाव था।
- **सीमित दो गड्ढों/द्वि-पिट प्रणाली (Twin-Pit System)** वाले शौचालय के उपयोग और अपर्याप्त अपशिष्ट निपटान व्यवस्था के कारण ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में अंतराल बना हुआ है।

आगे की राह

- स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा में WASH प्रशिक्षण शामिल करना।
- WASH जागरूकता के लिए ग्रामीण समुदायों के साथ सहयोग करना।
- समावेशी दृष्टिकोण के लिए दो गड्ढों वाले शौचालय की प्रणाली को बढ़ावा देना।
- स्वच्छता जागरूकता के लिए स्वच्छता पखवाड़ा अभियान वापस लेना।
- दो गड्ढों वाले शौचालय निर्माण के लिए बजट आवंटित करना।
- पहल के माध्यम से बच्चों में स्वच्छता के मूल्यों को स्थापित करना।
- स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के माध्यम से सुधार लाना।
- पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जैव-शौचालय के उपयोग को बढ़ावा देना।
- सुरक्षित स्वच्छता के लिए सफाई रोबोट जैसी तकनीक को अपनाना।
- समग्र प्रभाव के लिए स्वच्छता दूतों, गैर सरकारी संगठनों, सीएसओ को शामिल करना।

WASH पहल में निवेश न केवल स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता और लैंगिक समानता से संबंधित विशिष्ट SDG को संबोधित करता है, बल्कि कल्याण, समानता, पर्यावरणीय प्रबंधन और समावेशी भागीदारी को बढ़ावा देकर व्यापक सतत विकास में भी योगदान देता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation